

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Both of you are from the same State. Then why do you fight? ...*(Interruptions)*... Short Duration Discussion. ...*(Interruptions)*... Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... It is not going on record. ...*(Interruptions)*... Keshava Raoji, it is not going on record ...*(Interruptions)*... Now, Short Duration Discussion. Hon. Members ...*(Interruptions)*...

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): Sir ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; no time, no time. You have to come to the Chair ...*(Interruptions)*...

Now, hon. Members, we are taking up Short Duration Discussion. ...*(Interruptions)*... The time allotted is two hours and thirty minutes. After this is disposed of, we have to take up the discussion on Home Ministry, for which the time allotted is four hours.

Therefore, I would request that each one of you must adhere to your time and your Party time. The Chair would strictly follow that. Number two, after commencement of the discussion, no new names will be taken. Now, I am starting Short Duration Discussion. Shri Tarun Vijay.

SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY (Telengana) : Sir, please include my name. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have called Shri Tarun Vijay. ...*(Interruptions)*...

DR. K. KESHA RAO: Sir, my submission ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. No submission now. ...*(Interruptions)*...

DR. K. KESHA RAO: Sir, we are crossing over the agenda. ...*(Interruptions)*... As per the agenda, there are two Short Duration Discussions, one on the natural calamities occurring in various parts of the country and the other on the reported attempts to curb the independence of the media ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In the List of Business today, this is the item that is coming up next. I have taken it up. That is all. Shri Tarun Vijay, please start. Now, you have to strictly adhere to your Party time

SHORT DURATION DISCUSSION

Natural calamities occurring in various parts of the country and relief measures taken by the Government

श्री तरुण विजय (उत्तराखंड): उपसभापति महोदय, देश में आपदाओं का एक सतत सिलसिला चल रहा है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री पी. राजीव) पीठासीन हुए,]

इस पर चर्चा प्रारंभ करने से पहले मैं पंचतंत्र की एक छोटी सी उक्ति बताना चाहूंगा। उसमें कहा है कि देश का कोई शासक अपनी प्रजा को सबसे अच्छा उपहार क्या दे सकता है, क्या वह उपहार धन

[श्री तरुण विजय]

हो सकता है? क्या वह उपहार सम्पदा हो सकती है? अथवा क्या वह उपहार अनन्त संख्या में पशु हो सकते हैं? उत्तर मिलता नहीं! सबसे श्रेष्ठ उपहार जो कोई शासक अपनी प्रजा को दे सकता है — वह है सुरक्षा। अगर उस शासक के राज्य में प्रजा आपदाओं और आक्रमणों से सुरक्षित किए जाने की व्यवस्था से युक्त है, तो वह उस देश की प्रजा को उस शासक का सबसे अच्छा उपहार होता है। हमारे देश में पिछले 2010 से ही 17 से भी अधिक भयानक आपदाएं आई हैं — उत्तरकाशी का भूकंप, किलानी का भूकंप, लातूर का भूकंप, कोयना का भूकंप, चमोली और फिर उत्तराखंड का भूकंप, ओडिशा का सुपर साइक्लोन, भुज का भूकंप और सुनामी जैसी ये आपदाएं आईं, आंध्र प्रदेश में लैला नाम का तूफान आया, उसक बाद लेह का क्लाउड बस्ट आया, तमिलनाडु में आया, पिछले वर्ष केदारनाथ में बाढ़ के रूप में एक भयानक आपदा आई और हजारों लोग उसमें काल-कवलित हो गए। जब भी ऐसी आपदा आती है, तब हर बार हम देखते हैं कि हमारे सैनिक देवदूत बनकर, रक्षक बनकर हजारों लोगों की रक्षा करते हैं, चाहे वे इंडियन एयरफोर्स के हो, चाहे वे आर्मी के हो, चाहे वे भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के हों या नेवी के कमांडोज़ हों, वे हजारों लोगों की रक्षा करते हैं और अपने प्राणों को आहुति देते हैं। हमेशा यही होता है कि सैनिक और अर्धसैनिक बलों के लोगों को राहत के लिए बुलाना पड़ता है। 2010 से लेकर अब तक 2 लाख से ज्यादा भारतीय विभिन्न आपदाओं में अपने प्राण गंवा चुके हैं।

महोदय, इसमें मैं वह संख्या नहीं जोड़ता, जो बंगाल के अकाल में भारतवर्ष के 30 लाख लोग मारे गए थे, जो मानव निर्मित अकाल था, जो अंग्रेजी जानने वाले अंग्रेजों द्वारा भारत के विरुद्ध निर्मित किया गया था। लोग कहते हैं कि अंग्रेजी जानने वाले बड़े कुशल और दक्ष होते हैं, लेकिन *three million people died in a man-made famine in Bengal and all of them were very much adept in English; they were English-knowing people*. उस आपदा से लेकर केदारनाथ की आपदा और अभी पुणे में जो भूस्खलन हुआ, जिसमें 87 से अधिक लोगों के मारने जाने का समाचार है, वे तमाम आपदाएं यह बताती हैं कि हम अभी भी व्यवस्था करने में निपुण नहीं हुए हैं। हमको उन सैनिकों की सहायता लेनी पड़ती है, 26 साल, 22 साल, 27 साल के लड़के अपने प्राण देकर इन आपदाओं में लोगों की सहायता करते हैं। मुदरई के फ्लाइट लेफ्टिनेंट के. प्रवीण की माता मंजुला रेलवे में एक साधारण नौकरी करती है, उन्होंने गर्व से कहा कि मेरा बेटा आज शाम को मुझे फोन करने वाला था, कल उसने मुझसे से कहा था कि मां, मैं उत्तराखंड में जा रहा हूं, केदारनाथ में जा रहा हूं और शाम को आकर मैं आपको फोन करूंगा। फोन की घंटी बजी, लेकिन वह फोन यह सूचना देने के लिए था कि तुम्हारा बेटा उत्तराखंड में यात्रियों को बचाते हुए शहीद हो गया। इसी तरह तपन कपूर, बिहार के संजीव कुमार गाजियाबाद से गये वे वहां शहीद हुए।

महोदय, वहां पर 17 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए और यह अलग बात है कि जो सैनिक शहीद होते हैं, उनको शहादत का दर्जा मिलता है, जो पुलिस के लोग शहीद होते हैं, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है, फिर भी वे प्राणों की आहुति देते हैं, क्योंकि वे शहादत का तमगा लेने के लिए वहां पर नहीं जाते हैं, बल्कि भारत माता की संतानों को बचाने के लिए वहां पर जाते हैं और उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं होती है।

महोदय, ये तमाम जो घटनाएं हुईं, उनमें हमेशा यह हुआ है कि भारत के लोगों ने पूरे बल से राहत कार्य आरंभ किए हैं, स्वयंसेवी संगठन वहां गए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग वहां गए, गायत्री परिवार के लोग वहां गए, स्वामी नारायण सम्प्रदाय के लोग वहां गए, बाबा रामदेव के लोग वहां गए। हमारे कांग्रेस के मित्रों ने भी वहां पर राहत का काम किया, लेकिन राजनीतिकरण भी किया। मैं

वहां उनके तम्बू में गया और मैंने कहा, देखो भाई, आप चाहे कांग्रेस के हैं, आप अच्छे से काम कीजिए, आपको कोई मदद चाहिए, तो मैं आपकी मदद के लिए आऊंगा। वे लोग इस बात को जानते हैं और उन्होंने इसको माना भी।

महोदय, भुज का भूकंप तो बहुत ही भयानक था। उसमें 30 हजार लोग मारे गए थे, 10 लाख से ज्यादा मकान प्रायः नष्ट हो गए और 4 लाख से ज्यादा मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, ऐसा भयानक भूकंप आया था। वहां पर तुरंत आपदा राहत के कार्य हुए, सारे देश के लोगों ने किए, सब संगठनों ने किए, दुनिया भर से भी सहायता आनी थी, लेकिन हमारे भारत के लोगों ने उस समय खड़े होकर एक ऐसा नया भुज बना दिया कि जिसको देखकर लोग चमत्कृत हो गए कि नीड़ का निर्माण फिर-फिर...जो बच्चन जी की प्रसिद्ध कविता है, ऐसा उन्होंने आपदा राहत का कार्य किया। यह भारत की प्राण शक्ति है, लेकिन दुख इस बात का है कि 2005 में इसके लिए जो संस्था बनाई गई, जिसको एनडीआरएफ कहा जाता है, वह हर ऐसे समय में कम रह जाती है।

महोदय, इसके बारे में तो कहा जाता है कि यह रिटायर्ड लोगों का एक पार्किंग प्लेस बन गया है। ऐसा क्यों है? आपदा राहत की जो शक्ति है, वह जो संगठन है, उसे सबसे पहले तुरंत कार्रवाई के लिए पहुंचना चाहिए।

महोदय, सीएजी की रिपोर्ट, जो एनडीएमए के बारे में पिछले वर्ष आई थी, उसे मैं दुःख के साथ यहां पढ़ना चाहता हूँ:

“The performance of NDMA in terms of project implementation had been abysmal. So far, no major project taken by NDMA has seen completion. It was noticed that NDMA selected projects without proper ground work and as a result, either the projects were abandoned midway or were incomplete after a considerable period,” the CAG Report says.

It also says, "In many cases, the NDMA realized midway that some other agency was already executing projects with similar objectives. Timelines in most of its projects were absent and wherever they were given, they were not adhered to."

This is the condition of the NDMA which is the primary agency to take care of the disaster management, which is the primary agency to provide relief and succor to the suffering masses. If this is the situation, how are we going to change this condition?

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि देश में सबसे अधिक जो भूस्खलन और इस प्रकार की आपदाएं आ रही हैं, वे हिमालय क्षेत्र में आ रही हैं। पीर पंजाल से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का जो हिमालय क्षेत्र है, यह भारत के पूरे भूखंड का 16 प्रतिशत है, पर वह सम्पूर्ण भारत का जल क्षेत्र है, उसकी सीमाएं सात देशों से मिलती हैं, उसके साथ 11 प्रदेश मिलते हैं और इस सम्पूर्ण क्षेत्र में हम यह काम कर रहे हैं कि वहां हम पहाड़ गिरा रहे हैं, हम नदियाँ सुखा रहे हैं और हम चाहते हैं कि प्रकृति हमें वरदान देती जाए। हम उत्तराखंड में ही देख लें, वहां 336 से ज्यादा बांध हैं। वहां पर अकेले चमोली जिले में चार मंजिला हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना है। It is a four-storeyed hydro electric project and it has twelve kilometer tunnel. आप उस क्षेत्र में 12 किलोमीटर की सुरंग खोदेंगे, आप 75 से ज्यादा बड़े डैम भागीरथी और अलकनंदा में बनाएंगे तो इसका अर्थ यह हुआ कि लगभग हर

[श्री तरुण विजय]

चार किलोमीटर पर आप एक हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और फिर आप यह चाहेंगे कि प्रकृति हमें वरदान दे! महोदय, यह कैसे हो सकता है? हम खनन के द्वारा नदी का प्रवाह बदल देते हैं और वहां जो भयानक अवैध माइनिंग होती है, उसमें सब लोग शामिल होते हैं। यह हम नहीं कह रहे, आप आम जनता से पूछ लीजिए, वे कहते हैं कि पॉलिटिशियन-ब्यूरोक्रेट का ऐसा नेक्सस है कि जो रिवर माइनिंग है, उसकी वजह से 12-12 किलोमीटर तक नदियों का प्रवाह बदल जाता है। जब नदियों का प्रवाह बदल जाता है तो उसके क्षेत्र में निश्चित रूप से उसका गलत असर पड़ता है। हमारे यहाँ सात नये बांध बन रहे हैं, नौ पर काम शुरू हो गया है, 19 स्वीकृत हो गए हैं और 100 नई सड़कें बन रही हैं। महोदय, ये जो नई सड़कें बनेंगी, नये बांध बनेंगे, उनके लिए सुरंगें बनेंगी और उनके लिए बहुत अधिक एक्सप्लोसिव या विस्फोटक इस्तेमाल किया जाएगा। आप पूरे पहाड़ में विस्फोटक लगा देंगे और उनमें सुरंगें बना देंगे। महोदय, हमने भागीरथी और अलकनंदा नदियों के रिवर बेड हजारों वर्षों से नहीं देखे, बल्कि हम लोगों ने उन्हें पूरी तरह से सूखी नदी के रूप में देखा है। उत्तरकाशी से आगे भागीरथी का 26 किलोमीटर जल-तल यानी रिवर बेड हमें दिखता है तो दुनिया भर से आने वाले तीर्थयात्री यह कहते हुए रो पड़ते हैं कि तुम माँ गंगा का यह क्या हाल कर रहे हो?

महोदय, धारी देवी का भी एक अलग प्रकरण है। उसको उठाकर हमने पलट दिया और उसका भी बुरा नतीजा निकला। महोदय, यह पूरा हिमालय क्षेत्र तिब्बत से मिलता है और हालत यह हो गई है सिंधु नदी, जिसने भारत को नाम दिया — we got the name India from River *Indus*. We are Indian because there is a River *Indus*. No other river in the world has ever given an identity to a country, to its people or to a civilization that *Sindhu* has given. *Indus* has given — अब सिन्धु में बाढ़ आ गई, लेह में बाढ़ आ गई, क्लाउड बस्ट हो गया और वहां पर सौ से ज्यादा लोग मारे गए। हमने पुनः यह देखा कि अगर वहां पर कोई पहुंचा तो वे सैनिक पहुंचे। वहां पर कहीं हमको ब्रिगेडियर अजय कुमार अपने सैनिकों के साथ लोगों को राहत पहुंचाते दिखते हैं तो उत्तराखंड में कहीं पर विंग कमांडर इस्सर लोगों की जान बचाकर नीचे लाते हुए दिखते हैं। महोदय, सैनिक ही दिखते हैं। हम क्यों इस प्रकार की राहत की व्यवस्था और संपूर्ण विकास नहीं कर रहे हैं? डिजास्टर तो आ रहे हैं, बंगाल के फेमीन से लेकर केदारनाथ और पुणे में भूस्खलन के कारण जो 87 लोग मारे गए, लगातार समाचार आ रहे हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं।...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. RAJEEVE): Tarunji, you can continue your speech after the lunch break.

SHRI TARUN VIJAY : Okay, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. RAJEEVE) : The House is adjourned for lunch and will resume at 2 o'clock.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House re-assembled after lunch at one minute past two of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Tarun Vijay, you continue with your speech.

श्री तरुण विजय: उपसभापति महोदय, दुनिया भर में भारतवर्ष ही ऐसा देश है, जो disaster, calamities और इस प्रकार के प्राकृतिक और अप्राकृतिक या man-made disasters का सब से बड़ा शिकार है। मैं यहां एक रिपोर्ट के अंश पढ़ना चाहता हूं जिस के तथ्य बहुत shocking हैं। "India is vulnerable to different natural hazards. About sixty per cent of the country's area is vulnerable to earthquakes of different magnitudes. Eight per cent of the total area is susceptible to cyclone hazards. Sixty eight per cent of the area is drought prone. Twelve per cent of the area is susceptible to floods. And approximately fifteen per cent of total area of the country is susceptible to landslides." लेकिन पहली 10 पंचवर्षीय योजनाओं तक हिंदुस्तान में कोई Disaster Policy नहीं बनी थी। Only the Tenth Five Year Plan (2002-07) for the first time had a detailed chapter entitled 'Disaster Management'. This was the very first year when the Government of India tried to evolve some kind of Disaster Management Policy. Another shocking fact is that India has the oldest Famine Relief Code that was created by the British in 1880. इस को हम चलाए जा रहे हैं, उसी में थोड़ा-बहुत रद्दोबदल कर रहे हैं, लेकिन 2014 में हमको क्या डिजास्टर मैनेजमेंट या डिजास्टर पॉलिसी चाहिए, इस पर अभी तक समग्र रूप से विचार तक नहीं हुआ है। महोदय, हिमालय क्षेत्र में पूरे देश का जल क्षेत्र आ जाता है, हिमालय क्षेत्र पूरे देश की इकोलॉजी और उसके जल-संभरण क्षेत्र को प्रभावित करता है, लेकिन हिमालय क्षेत्र में क्या विकास होना चाहिए, इस पर विचार नहीं हुआ है। वहां सड़कें, बांध, इंफ्रास्ट्रक्चर, एस्टैब्लिशमेंट क्या होना चाहिए, अभी तक उसके लिए Himalayan Region Development Policy तक नहीं बनी है। महोदय, इतना ही नहीं, इन डिजास्टर में मारे जाने वाले लोगों के प्रति हमारे पास कोई यूनिफॉर्म कम्पेनसेशन पॉलिसी नहीं है। आप किसी को 1 लाख देते हैं, किसी को 2 लाख देते हैं, किसी को 5 लाख देते हैं। अभी मेंगलोर एअर एक्सीडेंट में मारे गए यात्रियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरेक पैसेंजर को 75 लाख रुपए की राहत मिलनी चाहिए। महोदय, रेलवे के कोड में मुआवजा 4 लाख रुपए बताया गया है। अब किसी को अगर चोट लगती है तो रेलवे 500 रुपए की रिलीफ देती है, 15 हजार रुपए की रिलीफ देती है। यह रिलीफ की रकम वर्षों से चली आ रही है। क्या इसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है? आप कहीं 75 लाख और कहीं 500 रुपए, 15000 रुपए और 4 लाख रुपए का कम्पेनसेशन देते हैं। इस बारे में एक कम्पेनसेशन पॉलिसी होनी चाहिए और साथ ही एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए।

महोदय, उत्तराखंड में मारे गए लोगों के परिवारों से कहा गया कि आप डेथ सर्टिफिकेट लाओ, तब कम्पेनसेशन मिलेगा। वहां लोगों को डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए 10-10 महीने लगे। मुंबई के सोनी परिवार व अन्य लोग डेथ सर्टिफिकेट के लिए चक्कर काटते रहे। डेथ सर्टिफिकेट लेने में हमको एक-एक साल लग जाता है। कई बार जब कहा जाता है कि फलां लापता है, तो सात साल के बाद बताएंगे। अब जो सात साल के बाद कम्पेनसेशन मिलेगा, तो उसका क्या अर्थ रहेगा? भारत को अपना डिजास्टर मैनेजमेंट, केलेमिटीज मैनेजमेंट और रिलीफ वर्क इतना मजबूत करना चाहिए कि न केवल भारत में किसी भी जगह आपदा के समय वे तुरंत राहत पहुंचाएं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में रिलीफ और डिजास्टर हैल्प का एक सबसे बड़ा केंद्र भारत बने, क्योंकि दक्षिण एशिया के लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में भारत की ओर देखते हैं। बंगलादेश ने भारत से बेहतर डिजास्टर मैनेजमेंट, मैकेनिज्म खड़ा कर दिया है। वहां पर उन्होंने तुरंत शेल्टर बनाना, तुरंत डिजास्टर रिलीफ के लिए राहत पहुंचाने का

[श्री तरुण विजय]

काम शुरू कर दिया है। इस क्षेत्र में अगर कहीं भी आपदा या केलेमिटी आती है, तो भारत उससे अप्रभावित नहीं रह सकता है।

उपसभापति महोदय, बंगाल की खाड़ी का, सागर का जो स्तर है, वह प्रतिशत वर्ष लगभग ढाई सेंटीमीटर की गति से बढ़ रहा है। अगर वह सागर का जलस्तर एक मीटर बढ़ गया, तो लाखों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को खतरा पैदा हो जाएगा और उससे भारत प्रभावित होगा। इसके लिए भारत को एक ऐसी पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है और ऐसा मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता है कि कहीं भी ऐसी आपदा आए, तो सबसे पहले हिंदुस्तान के डिजास्टर मैनेजमेंट के रक्षक वहां पहुंचें। कोई भी हो, शत्रु भी हो, तो भी मदद करे क्योंकि हिंदुस्तान का एक गौरव यह रहा है कि शत्रु घायलों को भी शत्रु पक्ष में जाकर भाई कन्हैया ने पानी पिलाया है। उनकी मदद करना भी हिंदुस्तान का कर्तव्य होना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में संपूर्ण दक्षिण एशिया में आठ लाख से ज्यादा लोग केवल प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए हैं। वे किसी की ओर देखते हैं? वे भारत की ओर देखते हैं कि भारत उनकी मदद करेगा, लेकिन भारत उनकी मदद करने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाता है।

उपसभापति महोदय, मैं उत्तराखंड से आया हूँ। वहां के मौसम विभाग ने 14 तारीख को घोषित कर दिया कि भयानक आपदा आने वाली है, 16 की रात का आपदा आ गई, लेकिन हमें मदद कब पहुंची? यह 18 और 19 को पहुंची। जितना डिजास्टर मैनेजमेंट का मैकेनिज्म था, वह कहीं और था। एटीएफ की सुविधा वहां केवल जौलीग्रांट पर है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा प्रदेश, जिसकी जनसंख्या एक करोड़ है और यहां ढाई करोड़ पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं, इतनी बड़ी संख्या से बाहर से लोग आते हैं और यहां आकर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सोनप्रयाग, गुप्तकाशी जाते हैं, लेकिन कहीं भी डिजास्टर मैनेजमेंट की एक यूनिट तक नहीं थी। देहरादून से गए, बरेली से बुलाए गए, 19-20 तारीख को वहां ये पहुंचे, एटीएफ की सुविधा केवल जौलीग्रांट में थी। मैंने माननीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी को फोन किया कि प्रधान मंत्री जी, जहाज ऊपर जाते हैं, उनको वापस एअर रिफ्यूजिंग के लिए जौलीग्रांट आना पड़ता है, आप एटीएफ की सुविधा ऊपर करवा दीजिए। उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई करके कैबिनेट सेक्रेटरी को कहा और उसके बाद ऊपर सुविधा दी गई। डिजास्टर मैनेजमेंट कहता है कि जिन क्षेत्रों में भूचाल और फ्लड्स बहुत ज्यादा आते हैं, वहां के साधारण नागरिकों को भी आप प्रशिक्षित करिए, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को आप प्रशिक्षित करके रखिए, वहां के ग्रामीणों को ट्रेनिंग देकर रखिए, लेकिन प्रशिक्षित कहां किये जाते हैं, इस बात का कहीं उल्लेख नहीं होता और स्थानीय स्तर पर डिजास्टर मैनेजमेंट को तैयार किए जाने के लिए कोई मैकेनिज्म ही नहीं बनाया जाता है। जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं, वे पूरे हिमालय क्षेत्र में सिसमिक जोन में हैं, उसके लिए इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती?

क्या हम अपने नागरिकों का सम्मान नहीं करते, क्या हम अपने नागरिकों के प्राणों की कीमत का महत्व नहीं समझते? क्या प्राणों की कीमत केवल बड़े लोगों की, अमीरों की, नेताओं की और बड़े-बड़े आईएस और दूसरे अफसरों की होती है? जो साधारण ग्रामीण अपने क्षेत्र में, अपने गांव में रहता है और जो वहां का पंडित है, लुहार है, जूता सिलने वाला है, बढ़ई है, जब उसकी जान जाने वाली होती है तो उसकी जान बचाने के लिए 48-48 घंटे लग जाते हैं, तब पहला हेलीकॉप्टर वहां पर उतरता है। ऐसा क्यों होता है, जबकि यह सुविधा सबसे अधिक हमें देने की आवश्यकता है? राहत काम में जो डिपार्टमेंट्स आगे आते हैं, वे 17 डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन उनकी दो-दो साल तक मीटिंग नहीं होती। डिजास्टर मैनेजमेंट के मैनुअल में एनीमल हस्बैंडरी से लेकर पानी वाले और हॉर्टिकल्चर तक का लिखा गया है जो पैरा-मिलिट्री फोर्स के लोग हैं, जैसे देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, मिलिट्री यूनिट है, गोरखा रेजीमेंट है, कानून यह है कि उनकी मुख्य मंत्री के साथ और डिजास्टर मैनेजमेंट की

जो अन्य शाखाएं हैं, उनके साथ बैठक होगी, लेकिन साल में मुश्किल से एक बार बैठक होती है। वह चाय के बाद खत्म हो जाती है, इसलिए यह बैठक वर्ष में कम से कम चार बार होनी चाहिए। जो सहायता हम मिलिटरी से लेते हैं, पैरा मिलिटरी से लेते हैं, वह सहायता उनसे कम करके हमें स्थानीय मैकेनिज्म को इतना मजबूत करना चाहिए कि तुरंत वे त्वरित गति से वहां पर सहायता दें।

सर, वहां सैटेलाइट टेलिफोन नहीं था। मैं स्वयं गुप्तकाशी और सोनप्रयाग में था, वहां फोन चलाते रहे, चलाते रहे, पंद्रह-पंद्रह मिनट लगते थे एक टेलीफोन कॉल करने में। वहां से लोग कैसे आए? किसी के गोद में उसके पिता ने दम तोड़ा, उनको पानी नहीं मिला। वह उनका अंतिम संस्कार नहीं कर सका। मां की गोद में दो साल का बेटा था, इतना प्रवाह आया कि उन्होंने नंदी के सींग पकड़ लिए कि मैं अपने बच्चे को बचाकर रख सकूँ, लेकिन अचानक आए प्रवाह में मां की गोद से उसका शिशु निकलकर बह गया। इस प्रकार की घटनाओं को अपनी आंखों से देखकर जो यात्री आ रहे थे, उन यात्रियों को संभालने के लिए, राहत देने के लिए, चने की पोटली देने के लिए कौन लोग आए थे? महोदय, गायत्री परिवार के लोग आए, स्वामी नारायण संप्रदाय के लोग आए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग आए, लेकिन हम अपने राज्य का मैकेनिज्म इतना मजबूत क्यों नहीं कर पाए? करना चाहिए था और अरोड़ा, हमारा एस.डी.एम., उस प्रवाह में लोगों की राहत के लिए जाते-जाते शहीद हो गया, उसका कोई सम्मान तक नहीं हुआ। इस प्रकार के अच्छे लोगों की घटनाएं भी सामने आती हैं।

लेकिन महोदय, जब एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर से आया कि मैं सहायता दूंगा, वह हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी ही सहायता मांग रहे हैं और हिंदुस्तानी ही कष्ट में हैं। अगर एक भारतीय सहायता के लिए आता है, तो कह दिया जाता है कि तुम्हारे हेलीकॉप्टर को यहां रुकने की इजाजत नहीं है। वह सहायता के लिए आ रहा है, वह कह रहा है कि मेरी मां भारती की संताने यहां कष्ट में हैं, मैं उनकी मदद करने के लिए आ रहा हूँ, मगर वह लौटा दिया गया। अगले दिन उनकी पार्टी के नेता आते हैं, हेलीकॉप्टर उतारा जाता है और उनको पैरा मिलिटरी फोर्स के कैम्प में ठहराया जाता है। उपसभापति जी, भूल जाएं हम कि हम कांग्रेस, बी.जे.पी. या समाजवादी पार्टी के हैं, हम हिंदुस्तानी तो हैं! हमारा हिंदुस्तानी होना हमारे बाकी कुछ भी होने से बड़ा होना चाहिए, बाकी कुछ भी होने से ज्यादा प्रभावी और हावी होगा चाहिए। हमें भूल जाना चाहिए कि कौन किस विचारधारा, मजहब, पंथ या पार्टी का है, यहां तो एक हो जाओ! दर्द में तो एक हो जाओ, वेदना में तो एक ही जाओ, पीड़ा में तो एक हो जाओ! वहां भी आप पार्टी का विभाजन करते हैं, तो यह भी आपदा का एक कारण बन जाता है।

उपसभापति जी, सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में डिजिस्टर मैनेजमेंट के लिए एक पॉलिसी संपूर्ण हिमालय के लिए और एक पॉलिसी कोस्टल एरिया के लिए होनी चाहिए। अडमान-निकोबार है, लक्षद्वीप है — हमारे इन द्वीपों में सागर का जलस्तर बढ़ते जाने से बहुत बड़े खतरे पैदा हो गए हैं। सूनामी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हम लोग शायद सूनामी न रोक पाएं, हम लोग अचानक आने वाला फ्लड जो है, वह न रोक पाएं, लेकिन उससे जो नुकसान होता है, उसको कम करने की तो कम से कम हम कोई कोशिश कर लें, कोई अच्छा मैकेनिज्म बना ले कि जो हिंदुस्तान सारी दुनिया में इतना अधिक फ्लडज का, साइक्लोनस का, अर्थक्वेक्स का शिकार होता है, अगर वहीं पर यह योजना नहीं बनेगी, तो कहां बनेगी? जापान से कुछ सीखिए। सब लोग चीन की बात करते हैं, लेकिन मैं जापान की बात करता हूँ। वहां पर जो न्यूक्लियर डिजिस्टर आया, तो तुरंत सब लोगों को समय पर सहायता पहुंची। कोई चिल्लाहट, कोई नवर्सनेस, कोई पैनिक वहां नहीं किया गया। अगर टैक्सी में लोगों को लेकर जाना है, हवाई जहाज में लोगों को ले जाना है, तो बहुत ही शिष्ट तरीके से, अनुशासित तरीके

[श्री तरुण विजय]

से उन्होंने वह किया। हमारे यहां तो हर तरफ अफरा-तफरी होती है। एक रिपोर्ट है कि एक रेल के एक्सीडेंट में पंद्रह प्रतिशत से अधिक रेल यात्रियों को समय पर राहत पहुंचाने के कारण बचाया जा सकता था। पंद्रह प्रतिशत यात्री बच सकते थे। अगर उत्तराखंड में सहायता कार्य वहीं गुप्तकाशी, सोनप्रयाग में स्थापित होते, एनडीएमए की यूनिट वहां पर होती और तुरंत वहां राहत पहुंचाई जाती, तो हजारों यात्री बच सकते थे। आज भी शवों के कंकाल वहां मिलते हैं। लोग वहां पर अपने-अपने रिश्तेदारों के चित्र लेकर खड़े रहते हैं, पूछते हैं कि क्या तुमने इनको देखा है?

श्री उपसभापति: तरुण जी...(व्यवधान)...

श्री तरुण विजय: ऐसे बहुत सारे लोग मिले थे।...(समय की घंटी)... आज भी हम देख रहे हैं, क्योंकि वह मैकेनिज्म नहीं बना कि उनके रिश्तेदारों को...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Tarun, you have only four minutes. I am just cautioning you.

श्री तरुण विजय: सर, मैं यह बताना चाहता हूं कि क्या हम अपने भारतीय लोगों की पीड़ा और वेदना की साझेदारी करने का हृदय रखते हैं? उन लोगों से पूछिए जो अपने बेटों के लिए आज, एक साल बाद भी, बद्री-केदार के रास्ते में बस स्टैंड पर खड़े होकर पूछते हैं कि क्या आपने इनको देखा है? मैंने देखा था, ये वहां पर यात्रा करने के लिए गए थे। आपको मिल जाएं, तो प्लीज हमको फोन कर दीजिएगा, यह मेरा फोन नंबर है। क्या कोई उनके हृदय की वेदना समझ सकता है कि वह भूचाल में दब गया, कि वह प्रवाह में बह गया! लोग अपने मां-बाप, अपनी बेटी, उनके हाथ से जो बेटी प्रवाह में चली गई.... उसको आज की तारीख में भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब वहां पर कंकाल मिलते हैं, तब लोग रोते हैं, ...(समय की घंटी)... कि शायद यह मेरे बेटे का कंकाल न हो, जिसका मैं अंतिम संस्कार तक नहीं कर सका। ऐसा क्यों है? अरुणाचल प्रदेश में बांध बंध रहे हैं, लोग उसका विरोध करते हैं। परशुराम कुंड में बांध बंध रहे हैं, वहां पर लोग विरोध कर रहे हैं कि इससे यहां का पूरा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा, भगवान के लिए यहां बांध मत बनाइए। क्या कोई उनकी बात को सुनेगा? एक विकास की नीति बननी चाहिए कि कहां पर मकान बने, कहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बने, कहां पर डैम बने, नदियों को कितना सुखाएं। गंगा-गंगा करते हैं! गंगा को मारने के लिए कोई मुस्लिम बाहर से नहीं आए, हम हिन्दुओं ने गंगा को गंदाया, हम हिंदुओं ने गंगा को सुखाया है। कौन इस अपराध का फल भोगेगा?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please conclude.

श्री तरुण विजय: यह अपराध हम सबका साझा अपराध है। अगर गंगा सुखाई, यमुना को गंदा नाला बनाया, हिमालय को सुरंगें लगाकर तोड़ दिया, तो उसका अभिशाप हम सबको इकट्ठा झेलना पड़ेगा। कोई यह नहीं कह सकता कि मैं सत्ता में था या मैं सत्ता में नहीं था, मैं इस पार्टी में था या मैं उस पार्टी में नहीं था। हम सबको उसका हिसाब मिलकर देना पड़ेगा। महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि हर विनाश के बाद पुनर्निर्माण होता है, उस पुनर्निर्माण का संकल्प यह सदन करे। यह विनाश हम न होने दें। हमारे भारतीयों का सम्मान तब होगा, जब उनके प्राणों की रक्षा के लिए वह मैकेनिज्म बनाया जाएगा जो तुरंत कार्यवाही करेगा, जो रिटायर्ड लोगों का पार्किंग प्लेस नहीं होगा। महोदय, मैं अंत में श्री हरिवंश राय बच्चन जी की चार पंक्तियां कहना चाहता हूं कि हमारा हृदय, नीड़ का निर्माण फिर-फिर करने का हमारा संकल्प, हमारा भाव, हमारे मन की शक्ति होनी चाहिए, वही भारत भक्ति होगी।...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please conclude. ...*(Interruptions)*... No, no. Don't say this. You have to stick to your party's time. It has already been announced.

श्री तरुण विजय: सर, मैं केवल एक सेकेंड और लूंगा। ...*(व्यवधान)*...

“नीड़ का निर्माण फिर-फिर, नेह का आह्वान फिर-फिर।
वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा,
धूलि धूसर बादलों में, भूमि को इस भांति घेरा,
रात-सा दिन हो गया, फिर रात आंधी और काली,
लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा,
रात के उत्पात-भय से भीत जन-जन, भीत कण-कण,
किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर-फिर!
नीड़ का निर्माण फिर-फिर, नीड़ का निर्माण फिर-फिर।”

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Rajani Patil, your party has given six names. So, you have only ten minutes.

SHRIMATI RAJANI PATIL (Maharashtra) : Sir, I will be within my time limit.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : So kind of you.

श्रीमती रजनी पाटिल: उपसभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हैं। नैसर्गिक आपत्ति एक ऐसी घटना होती है, जहां पर मानव यह महसूस करता है कि वह कितना परावलम्बी है, कितना असहाय है। हाल ही में महाराष्ट्र के मालिन गांव में, जो पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है, जमीन के धंस जाने से, भूस्खलन होने से पूरा का पूरा गांव जमीन के नीचे चला गया। कल तक के जो आंकड़े हैं, उनके अनुसार 152 लोगों के शव निकाले गए हैं। वहां पर पूरे के पूरे घर जमींदोज हो गए हैं, जानवरों का कोई अता-पता नहीं है। आज तक वह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सर, दो दिन पहले बिहार में कोसी की बाढ़ से एक भयावह स्थिति निर्मित हो गयी थी। अभी हमारे भाई तरुण विजय जी बोल रहे थे, जिसे सुनकर हमारी आंख में आंसू आ गए। गत वर्ष उत्तराखंड की जो अवस्था थी वह पूरे देश ने देखी, वहां पर अत्यंत भयानक स्थिति हम सबने देखी थी, जहां हमारे महाराष्ट्र के भी बहुत सारे लोग गए थे। अगर नैचुरल डिजास्टर या नैसर्गिक आपत्ति का नाम लेते हैं तो हमारे लातूर को हम नहीं भूल सकते। 1994 में किलारी गांव में जो भूचाल आया था, उसमें सैकड़ों लोग मर गए थे, उनके घर बरबाद हो गए थे। हाल ही में अंडमान-निकोबार में सूनामी का भयावह संकट आया। उसके बाद गुजरात में भुज में भूचाल आया था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जिनके माध्यम से हमें पता लगता है कि मानव बहुत असहाय है और हम इस आक्रमण का जवाब देने के लिए बहुत कम पड़ते हैं। सर, मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहूंगी कि मेरी स्टेट महाराष्ट्र में गत चार-पांच महीने में अलग-अलग तरह की नैसर्गिक आपत्तियां आई हैं, जैसा कि मैंने अभी मालिन गांव का जिक्र किया। मैं मराठवाड़ा क्षेत्र से आती हूँ। वहां पर दो-तीन महीने पहले ओले पड़े थे। यह भी एक तरह से नैसर्गिक भूचाल ही था। वहां पर ओले पड़ जाने से हमारे सारे जानवर मारे गए थे। वे ओले इतने बड़े थे कि उनसे हमारी जमीन खराब हो गई और हमारे खेतों को

[श्रीमती रजनी पाटिल]

नुकसान हुआ। जहां समूचे महाराष्ट्र में बारिश हो रही है, लेकिन हमारे क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है। बारिश न होने के कारण से हमें अकाल का सामना करना पड़ रहा है। हमारे राज्य में गोदावरी नदी है, उसके किनारे हमेशा बाढ़ आती है। उस बाढ़ की वजह से हमारे 70-80 गांव हमेशा बरबाद हो जाते हैं।

सर, जब भी कोई ऐसी आपत्ति आती है, तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वह कभी 50 हजार, कभी एक लाख, कभी दो लाख, कभी पांच लाख रुपये की सहायता डिक्लेयर कर देती है। चाहे हमारी महाराष्ट्र सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वह एक लांग टर्म पोलिसी क्यों नहीं बनाती है जिससे कि एक परमानेंट सॉल्यूशन इसका निकाला जाए तथा जो लोग इस आपत्ति में आते हैं, उनकी कम से कम अच्छी तरह से मदद की जाए।

सर, हमारे देश में कभी कहीं बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ता है, कभी भूचाल आता है, कभी भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड होता है। सर, टेम्परेरी रूप से एक लाख, दो लाख, पांच लाख रुपये की सहायता देने से कोई लाभ नहीं होता है। मेरा सरकार को और मंत्री महोदय को यह सुझाव है कि इसके बारे में एक पॉलिसी बनानी चाहिए। इसके माध्यम से हर राज्य में, जब भी कोई आपत्ति आती है, तो आपत्ति के बाद, उसका निवारण करने के लिए, लोगों को मदद देने के लिए एक परमानेंट लांग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए।

सर, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हर एक जिले के लिए बनाया गया है, लेकिन उसकी यंत्रणा अभी तक हर जिले में तैयार नहीं हुई है। मेरा यह कहना है कि डीएमए प्लान के अनुसार हर जिले में उसकी यंत्रणा तैयार होनी चाहिए। उसके अनुसार हर जिले को और हर स्टेट को अपना कानून बनाने की आवश्यकता है और हर राज्य को उस तरह से निर्देश देने की आवश्यकता है।

सर, अगर हमें डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देनी है, तो हम इसकी शुरुआत स्कूलों से कर सकते हैं, कालेजों से कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि सभी स्कूलों में और कालेजों में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए संबंधित कार्यशाला आयोजित की जाए। उसमें लेक्चर्स होने चाहिए जिसके द्वारा आपत्ति आने से पहले शारीरिक और मानसिक रूप से हमारे लोग तैयार हो जाएं।

सर, जो हमारी पंचायतें हैं, नगर परिषदें हैं, महानगर पालिकाएं हैं जिनमें डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की तैयार होनी चाहिए कि अगर कोई आपत्ति आती है, तो हमारे लोग वहां पर तैयारी के साथ मदद करने के लिए जा सके।

सर, इन आपत्तियों को हमने नजदीक से देखा है। जो प्रकृति के साथ हमारे लोगों ने छेड़छाड़ की है, वह भी इसका एक कारण है। इसका बुरा असर हमारी प्राकृतिक आपत्तियों में होता है। सर, अगर देखा जाए तो हम बड़े-बड़े पेड़ों को काट रहे हैं, हम पहाड़ों का समतलीकरण कर रहे हैं, हम जमीन को छोड़ रहे हैं, हम नदियों के ऊपर ज्यादा भार दे रहे हैं। अगर इन सब की जांच की जाए, तो इसका असर हमारे ऊपर आपत्ति के रूप में होता है।

सर, जो एनडीएमए ने हमारे देश के लिए प्लान बनाया है, वह बहुत अच्छा बनाया है और वह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि यह डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान सिर्फ कागजों पर अच्छा है, execution में, it is a big zero, इसीलिए मुझे लगता है कि अच्छी तरह से एक execution plan भी बनवाना चाहिए।

सर, एनडीएमए के बारे में भी सीएजी की रिपोर्ट आई है। उसको मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि जो एनडीएमए की अपैक्स बॉडी है, वह सबसे ज्यादा ineffective in most of its core areas, ऐसी सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। नेशनल डिजास्टर executive कमेटी की वर्ष 2005 के बाद से एक भी मीटिंग नहीं हुई है। वर्ष 2004 में सूनामी आई थी और 2005 में एमडीएम प्लान बना था, लेकिन उसके बाद से उस प्लान में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट का डाटा बेस अभी तक operational नहीं हुआ है। इसको operational करने की आवश्यकता है। मैं आपको सीएजी की निरीक्षण रिपोर्ट बता रही हूँ।

सर, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि हम जानते हैं कि natural calamity हमारे बस की बात नहीं है। अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें, तो हमारा नुकसान कम से कम हो सकता है। हम इतनी सावधानी तो बरत ही सकते हैं। हमारी जो weather forecasting की फेसिलिटी है, वह हमेशा एक्युरेट होनी चाहिए, ताकि उनके माध्यम से हमें यह पता चल सके कि कब क्या होने वाला है। हमें कभी-कभी लगता है कि बारिश होने वाली है क्योंकि weather forecast है, लेकिन जब हम छाता लेकर जाते हैं, तो बारिश आती ही नहीं है। इसलिए कभी-कभी हम मजाक में बोलते हैं कि इस हिन्दुस्तान में जो weather forecast है, हमें उसके विपरीत काम करना चाहिए, क्योंकि हमें इसका फायदा होगा।

सर, NDMA का प्लान हर जिले में सही तरह से एग्जिक्यूट होना चाहिए, तभी हम इस नेचुरल कलैमिटी में लड़ सकते हैं। मेरा यह मानना है कि नैसर्गिक के साथ हमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने नैसर्गिक को ज्यादा टटोला तो इसका मतलब यह होगा कि हम कुछ नैसर्गिक के विपरीत रहे हैं और हमें उसका डॉयरेक्ट नुकसान होता है।

सर, मैं लास्ट में यही बताना चाहूंगी कि जब भी कोई घटना घटती है, तो हमारी गर्वमेंट मशीनरी से यह बोला जाता है कि अब इतनी मदद करेंगे ...**(समय की घंटी)**... अगर ओले पड़े तो इतनी मदद करेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please finish it in two more minutes. दो मिनट।

श्रीमती रजनी पाटिल : सर, जब हमारे यहां ओले पड़े, तो ओले पड़ने के बाद यह हुआ कि मेरी खुद की डिस्ट्रिक्ट में अभी तक लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। काश्तकारों को समय पर मुआवजा न देकर उनका नुकसान किया गया है। मुझे लगता है कि हमारे यहां डिजास्टर मैनेजमेंट की लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी बहुत जरूरी है डिजास्टर मैनेजमेंट की लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए जैसे अभी जापान का उदाहरण दिया गया है, चाइना का उदाहरण दिया गया है, लेकिन हम उन देशों से इस मामले में बहुत पीछे हैं। हमारे यहां डिजास्टर हो जाने के बाद सिर्फ श्रद्धांजलि के लिए सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहां कुछ भी नहीं करते हैं, यह सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि इस सदन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है। हम नैसर्गिक आपत्ति को तो टाल नहीं सकते, लेकिन नैसर्गिक आपत्ति का आधार हम कम जरूर कर सकते हैं। हमें नैसर्गिक आपत्ति के साथ जो लड़ाई लड़नी है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम तैयार हो सकते हैं और उसमें कम से कम मनुष्यों की हानि को, हम इतनी सावधानी तो बरत ही सकते हैं। मैं इतना ही कह कर, आपको धन्यवाद देकर, अपनी बात समाप्त करती हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you for keeping up to the time. Hon. Members, before I call the next speaker, I have to again repeat that Members should

strictly adhere to the time allotted to their party. When the time is exhausted, after that, whatever is spoken will not be recorded. Secondly, please don't send the names. I have already said that once the discussion has started, names will not be accepted. Please cooperate. Don't put pressure on us. श्री अवतार सिंह करीमपुरी। आपके बोलने के लिए 9 मिनट का समय है।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी (उत्तर प्रदेश): आप पहले दो मिनट तक बैल मत बजाना, मैं 9 मिनट में ही खत्म कर दूंगा। सर, आज सदन नेचुरल कलैमिटी के इश्यु पर discussion कर रहा है। सिख गुरुओं ने बहुत पहले कहा था, “पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत”। अगर हम 15वीं सदी की उस बात के ऊपर ध्यान देते और पवन को गुरु समझकर अपने वृक्षों की रक्षा करते, पानी की रक्षा करते, जंगल की रक्षा करते और धरती की रक्षा करते, तो आज हमें सदन में इस विषय पर discussion करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज इस discussion को कुदरती आपदा का नाम दिया गया है। मैं समझता हूँ कि यह जो कुदरती आपदा है, इसमें भी कहीं न कहीं मानव का योगदान है, इंसान का योगदान है। आज हम इस कुदरती आपदा का ऊपर पर्दा डालकर discussion कर रहे हैं।

मान्यवर, जो हमारे देश की स्थिति है, इसमें 29 States और 7 Union Territories हैं, ये disaster prone area मानी जाती है। हमारी जो 58.6 परसेंट धरती है, उसके बारे में वैज्ञानिक बताते हैं कि उसमें अर्थक्वेक की संभावना हमेशा बनी रहती है, 12 परसेंट धरती पर फ्लड का असर होता है, 68 परसेंट, जो उपजाऊ भूमि है, उस पर ड्राउट का असर होता है, 7516 किलोमीटर की जो कोस्टल लाइन है, उस पर हमेशा साइक्लोन का खतरा बना रहता है और जो हिली एरिया है, वह ज्यादातर लैंडस्लाइड के रिस्क पर रहता है। इसके अलावा जंगल में आग लगती है, इंडस्ट्रीज में भी आग की घटनाएं होती हैं। इतनी गंभीर स्थिति होने के बावजूद भी, जिस पर चिंतन और मंथन भी बहुत होता है, लेकिन इनका क्या सोल्यूशन हो, उस पर प्रॉपर ऐक्शन नहीं होता। अभी हमारे भाई श्री तरुण विजय भी बहुत बढ़िया बोले, वे बहुत भावुक भी थे कि उत्तराखंड में जो कुदरती आपदा आई है, उससे जान-माल का कितना भारी नुकसान हुआ है। महोदय, मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में हमने जो कुदरती स्रोतों का दोहन किया है, पहाड़ों के साथ जो बेइंसाफी की है, हमें उसी को भुगतना पड़ा है। हम इसके लिए कोई पोलिटिकल क्रिटिसिज्म करने के लिए नहीं कहते हैं। दोनों पार्टियों को वहां पर सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन कुदरती स्रोतों के दोहन को रोकने के लिए दोनों पार्टियों ने ज्यादा संजीदगी नहीं दिखाई। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, यह बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जिस तरह से बड़े पैमाने पर हिमाचल प्रदेश में कुदरती स्रोतों का दोहन हो रहा है। हम चाहेंगे कि ऐसा कोई घटनाक्रम फिर से न घटे, लेकिन इसकी संभावना है, इसलिए हमें सचेत रहकर आगे बढ़ना चाहिए कि कहीं उत्तराखंड जैसी आपदा हिमाचल में न देखने को मिले।

हम वहां के कुछ गांवों में गए थे। वहां जो पहाड़ है, वह किसी भी समय टूट सकता है, धंस सकता है, जिसमें गांव के गांव ध्वस्त हो सकते हैं। वहां पर सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, लेकिन एन्वायरमेंट का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वहां पर उसका पालन नहीं हो रहा है। गुजरात, बिहार और जम्मू-कश्मीर में पांच लाख लोग इस कोशिश से प्रभावित हुए हैं। महाराष्ट्र के पुणे में जो हुआ, हम अभी उसकी चर्चा करके हटे हैं। वहां पर कितना बड़ा जान-माल का नुकसान हुआ है। हम अभी यह भी कह रहे हैं कि इस पर मजबूरी से डिजास्टर मैनेजमेंट का मैकेनिज्म तैयार करने की जरूरत है। अभी महाराष्ट्र में यह हुआ कि एक बिल्डिंग में आग लग गई, वहां फायर ब्रिगेड गई, लेकिन फायर ब्रिगेड का पाइप इतना बड़ा नहीं था

कि ऊपर तक, जहां आग लगी थी, वहां तक पहुंच पाता। जब आप इतनी ऊंची बिल्डिंग को परमिशन दे रहे हैं, तो वहां की जो कमेटी है, जो उसका नक्शा पास करती है, क्या उसके पास यह सूचना नहीं होती कि हम बीस-पच्चीस मंजिल की इमारत को परमिट कर रहे हैं? यदि कुदरती आपदा या किसी और घटना के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो हमें क्या-क्या रिसार्सेज चाहिए? महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि कुदरती आपदा से लोग मर रहे हैं और जान-माल का नुकसान हो रहा है। अभी हमारे सामने एक आंकड़ा है। 2011-12 में 1,530 लोगों की जाने गई और करीब 6,976 गायों की मौत हो गई, जिन्हें गौ माता कहते हैं। आज जो पार्टी सत्ता में आई है, वह तो उसका ज्यादा ही जाप सकती है। 7 हजार गौ माताओं की मृत्यु हो गई। ...**(व्यवधान)**... सबका कह लीजिए। लेकिन उन 7 हजार गौ माताओं का पता नहीं चला। इसके अलावा एक साल में करीब साढ़े तीन लाख लोग एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं। सड़कों पर जो गाएं चलती हैं, उनके कारण भी बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। हमें इसके ऊपर भी कुछ सोचने की जरूरत है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Two more minutes.

श्री अवतार सिंह करीमपुरी: मैंने कहा था कि मैं नौ मिनट में समाप्त कर रहा हूं, लेकिन घंटी डिस्टर्ब करती है।

श्री उपसभापति: अच्छा, ठीक है।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी: 78 हजार घर बरबाद हुए।

महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि डा. अम्बेडकर साहब ने आजादी के वक्त कहा था कि इस देश की प्लानिंग का जिम्मा मुझे सौंपो। उनके पास ऐसी प्लानिंग थी कि अगर उस वक्त प्लानिंग का जिम्मा डा. अम्बेडकर साहब को दिया गया होता, तो आज भारत दुनिया में एक नंबर का विकसित देश बन गया होता, लेकिन डा. अम्बेडकर साहब को जातिवादी मानसिकता के कारण यह मौका नहीं दिया गया और उनके टैलेंट, उनकी कैपेबिलिटी का जो फायदा देश को मिल सकता था, वह हम नहीं ले पाए।

मैं और ज्यादा समय न लेते हुए यही कहना चाहूंगा कि हमें डिजास्टर मैनेजमेंट का हमारा जो मैकेनिज्म है, उसके मजबूत करना चाहिए। हमारे वैदर डिपार्टमेंट से रिपोर्ट लेकर हमें पहले ही आने वाले समय के लिए अपने आपको प्रिपेयर करना चाहिए और कोस्टल एरिया के लिए, हिमालय के लिए, पर्वतों को बचाने के लिए कोई सॉलिड नीति लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपसभापति: धन्यवाद। आपने ठीक टाइम पर खत्म कर दिया। अच्छी बात है।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी: बिना घंटी के।

श्री उपसभापति: आपने जो वादा किया, उसे निभाया।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी: थैंक्यू।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Vivek Gupta. You have got seven minutes.

SHRI VIVEK GUPTA (West Bengal): Yes, Sir.

[Shri Vivek Gupta]

Mr. Deputy Chairman, Sir, I would like to begin with a very small story. This happened in Bengal in a village which was affected by floods. One man was sitting on the side, and was a little sad. Some people asked him 'you have survived the floods, and why are you sad? He replied, "That is the reason why I am sad". So, that sums up the story and the condition of the people who are affected by natural calamities and natural disasters. The affected people look up to the Central Government for support and rehabilitation. But none is to be found.

Sir, 40 million hectares or 12 per cent of our geographical area is exposed to recurring floods. But there is something to which I would like to draw the attention of the House, *i.e.*, the changing course of the river. Technically, it is not classified as flood, hence, does not qualify for any rehabilitation measures. All people who are affected by it are not getting any relief.

Sir, when we talk about natural calamities and preparedness, I would like to state that only 192 dams, as against 4,728 dams, have some kind of emergency action plan in place. The Central Water Commission provides inflow forecasts to only 28 of them. Sir, I don't know how much time it will take before we have the Standard Operating Procedures for deployment of the NDRF. Sir, my other colleagues, before me, have already said that the NDMA has not been holding meetings regularly. Even when my colleague spoke on the Uttarakhand Disaster, it was pointed out. So, it shows that we have not even learnt from our mistakes.

Sir, I would like to mention here the situation in Bengal also. Sir, almost 40 per cent of our area is flood prone. Sir, 111 blocks, covering 37,660 square kilometres, are prone to recurring floods. Sir, some of the steps that we have taken we want to share them with the rest of our esteemed colleagues. Sir, we have now 24X7 Emergency Operation Centres in the State working round the clock. A disaster SMS alert system is there to send warning signals to all officials up to village level to Gram Panchayat. We have disaster management teams in all our police forces. All district headquarters have a quick response team under the DM. There is a close cooperation between the disaster management, fire fighting and civil defence. Sir, there is a core committee under the Chief Secretary which meets during the month to review normal situations and preparedness.

Sir, I have some suggestions to make. The National Disaster Response Fund and the National Disaster Mitigation Fund must be created at the earliest. The source of each fund and its linkage with the respective State Fund must be specified in the Act or Rules. Sir, the Advisory Committee which had ceased to exist in June, 2010 has not been reconstituted. It was recommended that this committee should be reconstituted at the earliest because it forms a significant organ of the NDMA giving it expert advice. The National Institute of Disaster Management should function as an autonomous body in respect of its activities and human resource practices, and not as a subordinate organisation of the NDMA or MHA. The disaster management set up by the district authorities can be strengthened so

that they can be the first effective responders in case of a disaster. Sir, I do not want to take much of your time and just want to end by saying that we suffered from Aila, and we have suffered from so many other things. But our efforts need Central assistance. Even last week 60 trawlers had gone missing due to sudden storm in the Bay of Bengal near Sagar Island in West Bengal. Hundreds of fishermen are still reported to be missing. We want that the National Disaster Force come to their rescue and financial assistance be extended to the next of the kin of these people. Thank you, Sir.

श्री उपसभापति: श्री के.सी. त्यागी आपके पास सिर्फ सात मिनट हैं।

श्री के.सी. त्यागी (बिहार): सर, हम तो rebel हैं, एकाध मिनट फालतू ही लेंगे।

डिप्टी चेयरमैन सर, मुझे प्रसन्नता है कि कृषि मंत्री, गृह राज्य मंत्री और पीएमओ के राज्य मंत्री इस समय यहां पर मौजूद हैं, जो विषय की गंभीरता को दर्शाते हैं। सबसे पहले दो-तीन सुझाव देकर मैं अपनी बात को शुरू करूंगा।

मेरा पहला सुझाव यह है कि इस समय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई भी संगठन मौजूद नहीं है। प्रधानमंत्री जी इसके चेयरमैन हैं, जो एक लाख तरह के कामों के बीच में फंसे हुए हैं। मि. रेड्डी को इसमें से हटाया जा चुका है। उनके अलावा दूसरे जो और मੈम्बर थे, वे सब भी इस्तीफा दे चुके हैं। तमाम देश में त्राहि-त्राहि मची हुई है। मैं समझता हूँ कि देश की स्थिति को देखते हुए अविलम्ब प्रभाव से इस कमेटी का पुनर्गठन होना चाहिए।

सर, मेरा दूसरा निवेदन यह है कृषि मंत्रालय के अंदर पहले एक सेल था, जिसे बाद में गृह मंत्रालय में बदल दिया गया। जिस पर समूचे देश की प्राकृतिक आपदाओं को झेलने की जिम्मेदारी हो, कम से कम उसका एक अलग मंत्रालय तो बनना ही चाहिए। प्राकृतिक आपदा की जो विधिवत कमेटी है, 2008 से लेकर अब तक, छः साल हो गए, लेकिन आज तक उसकी कोई मीटिंग ही नहीं हुई। 2008 से लेकर अब तक हजारों आदमी मरे हैं, कितने ही घर बरबाद हुए हैं, लेकिन इस सब बातों का जिक्र मैं बाद में करूंगा। इसलिए मेरा दूसरा निवेदन आपदा प्रबंधन के लिए एक अलग मंत्रालय बनाए जाने के संबंध में है।

मेरा तीसरा निवेदन यह है कि बिजली गिरने को भी प्राकृतिक आपदा माना जाए। बिजली गिरने से जो लोग मरते हैं, उनकी संख्या अब तक 1200 से भी ज्यादा हो चुकी है, उसके अतिरिक्त जान-माल एवं पशुओं की हानि अलग है। इसे भी आप प्राकृतिक आपदा में शामिल करें, तो बहुत अच्छा होगा।

सर, बिहार प्राकृतिक आपदा का परमानेंट केंद्र है, जिसकी वजह बिहार की प्रमुख नदियां हैं, जैसे गंडक, जहां से हमारे कृषि मंत्री महोदय आते हैं, बागमती, कोसी, कमला, अधवारा आदि। इन सब नदियों का उद्गम नेपाल से है। प्रतिवर्ष 28 जिले इन नदियों में आई बाढ़ से प्रभावित होते हैं। उनके नाम बताकर मैं इस बहस को लंबी नहीं करना चाहता। मैं इसके साथ दो-तीन सुझाव देना चाहता हूँ। केंद्र सरकार और नेपाल सरकार के बीच वार्ता के द्वारा इन नदियों के उद्गम स्थल पर बांध बनाकर इन नदियों में जल प्रवाह को नियंत्रित करने हेतु व्यवस्था होनी चाहिए। इसका निरंतर अभाव रहता है। केंद्र सरकार को नेपाल सरकार से वार्ता कर इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए कि इन नदियों में जल प्रवाह की मात्रा, नदियों के जल स्तर की मात्रा एवं नदियों में वाटर डिस्चार्ज की सूचना बिहार सरकार को दैनिक रूप से उपलब्ध हो सके। यह इसका एक बड़ा कारण है कि हर साल बाढ़

[श्री के.सी. त्यागी]

आती है और हर साल हजारों लोग मरते हैं, करोड़ों लोगों का नुकसान होता है और 15-20 लाख आदमी डिस्प्लेस्ड होते हैं। इस प्रकार से इसकी सूचना दी जाए, जिससे बिहार सरकार को बाढ़ आपदा की रोकथाम के लिए पर्याप्त तैयारियों के लिए समय भी प्राप्त हो सके। नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र में वर्षा मापक यंत्र अब दुनिया भर में चल रहे हैं और यह कोई नई चीज़ नहीं रह गई है। तो नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र में ऐसे वर्षा मापक यंत्रों की स्थापना हेतु प्रयास होना चाहिए ताकि मानसून के दौरान इन नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र में होने वाली वर्षा की मात्रा की सूचना बिहार सरकार को शीघ्र उपलब्ध हो सके।

सर, इसी बीच में सभी माननीय सदस्यों का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित कराना चाहता हूँ कि श्री जय प्रकाश नारायण जी का गांव सिताब दियारा है। जो लोग उनके आंदोलन में साथी रहे हैं, उनका भावनात्मक लगाव भी इससे जरूर होगा। मुझे यह बताते हुए कष्ट है कि इस समय वहां पर बाढ़ आई हुई है और इससे एक गांव को नहीं, बल्कि एक संस्कृति को और एक रख-रखाव को भी खतरा पैदा हो गया है। तो मैं दोनों मंत्री महोदयों से कहना चाहता हूँ कि सिताब दियारा एक बड़ा गांव है। इसके कुछ हिस्से बिहार के दो जिलों-सारण और आरा में है और कुछ हिस्से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है, जहां से लंबे समय तक पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी भी आते रहे। इसलिए यदि कटाव रोकने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं, तो इस गांव को बचाया जा सकता है। कृषि मंत्री महोदय उधर व्यस्त थे, तो मैं इनकी जानकारी में दोबारा लाना चाहता हूँ कि जय प्रकाश जी का गांव डूबने के करीब है और यह सिर्फ एक गांव नहीं है, इस देश की एक विरासत है। तो बिहार सरकार भी उसमें सहयोग करेगी, लेकिन केंद्र सरकार को चाहिए कि उस गांव के जो हिस्से उत्तर प्रदेश के बलिया समेत सारण और आरा में आते हैं, इनके रखरखाव का इंतजाम किया जाए।

सर, यह त्रासदी बहुत भयंकर है, लेकिन मैं इसे संक्षेप में बताना चाहता हूँ। जो गुजरात का अर्थक्वेक था, उसमें 25 हजार लोग मरे और 6.3 मिलियन लोग इससे अफेक्टेड हुए। हमारे तमिल भाई बैठे हुए हैं। 2004 की सुनामी में 10,749 लोग मरे और 5600 लोग आज तक मिसिंग हैं। मैं दुआ करता हूँ कि वे जिंदा हों। कश्मीर में अर्थक्वेक आया, उसमें 86 हजार लोग मरे। 2005 में महाराष्ट्र में जो फ्लड आया था, उसमें एक हजार से ज्यादा लोग मरे। कोसी क्षेत्र में खास तौर से हमारे नॉर्थ बिहार में ...(समय की घंटी)... मंत्री महोदय जानते हैं।

श्री उपसभापति: दो और मिनट।

श्री के.सी. त्यागी: सर, आधा मिनट तो आपने इसी में खराब कर दिया।

सर, उसमें 527 लोग मरे। साइक्लोन 'निशा' आया था। सर, मुझे यह भी एतराज है कि जितने भी साइक्लोनस हैं, जया जी, इनके नाम महिलाओं पर हैं। 'निशा' से और 'हेलेन' से लेकर फ्लड्स के जो स्त्री-विरोधी रुझान है और मैंने महिलाओं को लेकर और फ्लड्स के नामों को लेकर कई जोक्स सुने हैं। प्राकृतिक आपदाएं दोनों एक जैसी होती है, ऐसा भी मैंने पढ़ा है। इसलिए इनके नाम भी बदले जाने चाहिए।

ड्राउट्स के अलावा लेह में क्लाउड बस्ट वाली घटना की भी बात है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब देश के अंदर इतनी बरबादी हो रही हो और कोई भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी न हो, तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह कोई पार्टी या राजनीति के हिसाब से नहीं है। आपको इसका बंदोबस्त करना चाहिए। जो लाइटनिंग वाली बात मैंने कही है, उसे प्राकृतिक आपदा में जोड़ना चाहिए। सर, चूंकि इतना बड़ा देश है और इसमें तीन मौसम हैं, अभी उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक बाढ़ चल

रही है, लोग बाढ़ में मर रहे हैं और पशुओं के लिए चारा नहीं है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ, पिछली बार भी बहस में मैंने कृषि मंत्री जी से कहा था कि बिहार में बाढ़ भी है और सूखा भी है और देश के कई राज्य ऐसे हैं, जिनमें पिछले 67 सालों से परमानेंट राहत आयोग और सूखा आयोग, दोनों आयोग बने हुए हैं। यह कैसा अभागा देश है भाई? ...**(समय की घंटी)**...

श्री उपसभापति: आपका टाइम पूरा हो गया।

श्री के.सी. त्यागी: हर साल सूखा आना तय है और हर साल बारिश से बाढ़ आएगी, यह तय है। उनके राहत कमिशन बने हुए हैं। सर, मैं अपनी बात आधे मिनट में समाप्त करना चाहता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: नहीं, नहीं, अब समय नहीं है।

श्री के.सी. त्यागी: सर, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन आपने इसमें इतना कम समय दिया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मैं क्या करूँ? आप लोगों ने ही समय डिसाइड किया है। इसके बाद दूसरी चर्चा भी होनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**... मैं डिसाइड नहीं करता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री के.सी. त्यागी: सर, यह सही है कि हम लोग ही इसको डिसाइड करते हैं। सर, इसमें आपकी गलती नहीं है, हम ही disaster करते हैं, but this is not...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I have not decided it; only you have decided it that after this, there should be a discussion on the Ministry of Home Affairs.

श्री के.सी. त्यागी : सर, हम जो समय आपसे बहस करके बरबाद करते हैं, that is man-made disaster. But this is natural. इसलिए disaster के लिए आपको थोड़ा और समय देना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Okay. That's all. That's all कृपया अब आप समाप्त कीजिए।

श्री के.सी. त्यागी: सर, सरकार इस पर गंभीरता से विचार करके जो मैनेजमेंट का काम है, उसको बढ़ाए ताकि समय-समय पर होने वाले ...**(समय की घंटी)**... पहाड़ों पर इतनी बर्फ पड़ रही है, यहां पर पहाड़ के हमारे साथी हैं, जितेंद्र जी के इलाके से ऊपर के इलाके के साथी हैं, जहां 370 लगी हुई है, उससे ऊपर हिमाचल के लोग और सिक्किम के लोग हैं, वहां पर हर साल भूस्खलन के साथ-साथ बर्फ पड़ती है। वहां बर्फ से दब कर लोग मरेंगे। ...**(व्यवधान)**... लू से भी लोग मरेंगे, क्योंकि आप देश को एयरकंडीशन्ड तो बना नहीं सकते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया अब आप समाप्त कीजिए।

श्री के.सी. त्यागी: सर, उसके लिए आप राहत की व्यवस्था कर सकते हैं। ...**(व्यवधान)**... सर, ऐसे विषयों के लिए आप समय को बढ़ाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): सर, भाषण माफिया संसदीय शब्द है या असंसदीय शब्द है? ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : No. No. The reply to the discussion will be by the Home Minister. But the hon. Agriculture Minister would like to intervene. So, I am allowing him. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेश अग्रवाल: सर, अभी डिस्कशन तो पूरी नहीं हुआ है। ...*(व्यवधान)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : That can be permitted. The Minister's intervention is always permitted.

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह): उपसभापति महोदय, पिछले सप्ताह यहां पर सूखे पर विस्तार से चर्चा हुई थी और कई माननीय सदस्यों ने अच्छे-अच्छे सुझाव भी दिए थे और उसके बाद चार दिन लगातार लोक सभा में भी इस पर चर्चा हुई। मैंने उस दिन उसकी तैयारी के संबंध में विस्तार से चर्चा की थी। मौसम में जो थोड़ा परिवर्तन हुआ है, उसके संबंध में मैं जानकारी देना चाहूंगा। जून महीने में जो बारिश 43 प्रतिशत थी, वह 31 जुलाई को -22 प्रतिशत पर आ गई थी, 01 अगस्त को -21 प्रतिशत, 03 अगस्त को -22 प्रतिशत और 06 अगस्त को -18 प्रतिशत पर रिकॉर्ड की गई। जलाशयों में भंडारण की जो स्थिति थी, वह 14 जून के अनुसार 36.87 मिलियन क्यूसेक मीटर था, जो 27 जुलाई को 54.05 मिलियन क्यूसेक मीटर था। यह दस वर्षों के औसत का 113 प्रतिशत था।

महोदय, कृषि मंत्रालय ने सूखा आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी की है और मैंने स्वयं सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है कि वे इसी प्रकार से अपने-अपने राज्य में भी सूखा आपदा प्रबंधन योजना तैयार करें। कृषि मंत्रालय ने CRIDA के माध्यम से राज्यों के कृषि मंत्री और जिले के जो कृषि पदाधिकारी हैं, उनसे संपर्क करके 551 जिलों का जो contingency plan तैयार किया था, उसको सभी जगह उपलब्ध करा दिया गया है।

महोदय, चर्चा के दरम्यान पता चला कि मौसम की जो रिपोर्टें हैं, ये चार डिवीजन की आती हैं या 36 सबडिवीजन के मुताबिक आती हैं, इनसे सही आकलन नहीं हो पाता है। जब माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की स्थिति बतायी, तब बात समझ में आई कि यह मौसम का जो औसत है, वह देश के पूरे क्षेत्र के किसी खास इलाके का प्रकटीकरण नहीं करता है। कहीं पर 50 प्रतिशत से ज्यादा बारिश की स्थिति है, लेकिन जो रिपोर्ट का औसत है, उसमें कहीं का -50 प्रतिशत नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री जी से इस बात की चर्चा की।

महोदय, ऐसे राज्यों के पास पर्याप्त पैसा है। जो एसडीआरएफ है, उसके तहत राज्यों के पास पर्याप्त पैसा है। अभी बाढ़ पर चर्चा के दरम्यान उत्तर प्रदेश और बिहार की चर्चा हो रही थी, बिहार के पास इस मद में 1848 करोड़ रुपए हैं, जिसमें 75 प्रतिशत केंद्र की ओर से और 25 प्रतिशत राज्य की ओर से है। उत्तर प्रदेश के पास 2129 करोड़ है तो वे सूखाग्रस्त या बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करके इससे खर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी राज्य ने घोषित नहीं किया है। मैंने प्रधानमंत्री जी से चर्चा की कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, चर्चा में माननीय सदस्यों के जो विचार आ रहे हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि कई जिलों और कई क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इसलिए अलग से भी कुछ राजसहायता जारी करनी चाहिए। इस निर्णय के बाद हमने परसों सभी मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है कि अब चार चीजों में केंद्र की ओर से विशेष सहायता जारी कर दी गई है — अगर किसी भी जिले या क्षेत्र में 15 दिनों के अंदर वर्षा माइनस 50 हुई हो, यानी 15 जुलाई से 30 सितंबर तक ऐसा होता है तो उन्हें 50 प्रतिशत डीजल सब्सिडी दी जाए। हमने दूसरी घोषणा यह की है कि हम जो बीज देते हैं, बुआई के बाद

बीज भी सूख रहे होंगे, तो विभिन्न योजनाओं के तहत हम बीच पर जो सब्सिडी देते हैं, उसकी राशि 50 फीसदी और बढ़ा दी जाए। तीसरा, हमारी जो "चारा विकास योजना" है, उसके तहत तुरंत उत्पादित होने वाले चारे के बीज के किट मुफ्त में मुहैया कराए जाएं, जिसके निर्देश यहां से दिए गए हैं और उसके लिए 100 करोड़ रुपये की राशि भी निर्गत की गई है। इसी तरह से, "बागवानी मिशन" के तहत बारहमासी बागवानी फसलों में अभी सूखा या बाढ़ के कारण यदि कहीं ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए भी हमने प्रति हेक्टेयर 35,000 रुपये तक का अनुदान यहां से देने का निर्देश दिया है। इस प्रकार, ऐसी चार राजसहायता की घोषणा हमने परसों की है और हमने सभी राज्यों को निर्देशित किया है कि जिस इलाके में भी माइनस 50 से कम वर्षा हो, उनको ये राजसहायता दी जाए। मैं समझता हूं कि यदि ऐसी कोई विशेष स्थिति बनती है तो उस क्षेत्र को सूखाग्रस्त या बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करके राज्यों के पास जो पर्याप्त धनराशि है, या तो वे उससे मदद कर सकते हैं या जब उनको यह लगता है कि स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर है तो फिर वे यहां रिपोर्ट भेज सकते हैं, जिसके आधार पर हमारी टीम वहां जा सकती है। माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर गृह मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, मेरी यानी कृषि मंत्री की एक कमिटी है और वहां से जो रिपोर्ट आएगी, उस पर वह कमिटी विचार करेगी और उसके बाद एनडीआरएफ की ओर से और सहायता दी जा सकती है। ऐसी सरकार के पास व्यवस्था है और इस संबंध में माननीय गृह मंत्री जी विस्तार से चर्चा करेंगे। ...*(व्यवधान)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : No, no. ...*(Interruptions)*... It is just intervention; reply would be given by the Home Minister.

श्री नरेश अग्रवाल: माननीय मंत्री जी, यह पैसा आपने राज्यों को जारी किया है या नहीं? दूसरा, आपने राज्यों को पैसा जारी करने का क्या आधार रखा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश को आप सबसे कम रुपया जारी करते हैं, जबकि यह सबसे बड़ी स्टेट है और उसकी आबादी भी सबसे ज्यादा है। इसलिए आप यह भी बता दें कि रुपये देने का आधार क्या है?

श्री राधा मोहन सिंह: जैसे कि हमने एसडीआरएफ की चर्चा की, उसके तहत उनके पास जो राशि पहले से मौजूद है, वह हमने बताया। यह पैसा उनके पास है, जिसमें से 75 प्रतिशत केंद्र की राशि है और 25 प्रतिशत उनकी राशि है। हमने अभी यह घोषणा की है कि आप इस प्रकार की सहायता जारी कीजिए और फिर आप हमें उस खर्च का ब्यौरा दीजिए, हम यह राशि आपको देंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Shri T. Rathinavel. ...*(Interruptions)*...

श्री के.सी. त्यागी: उसकी टोटल कॉस्ट इस समय कितनी है? मेरी जानकारी यह है कि सिर्फ ढाई सौ करोड़ रुपये की राशि ...*(व्यवधान)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Okay, okay. Mr. Rathinavel. ...*(Interruptions)*...

श्री राधा मोहन सिंह: सर, यह हमने अलग से व्यवस्था की है। जो एसडीआरएफ के अंतर्गत है, उसके बारे में अगर आप कहेंगे तो हम उसकी राज्यवार पूरी सूची पढ़ देंगे। हमारे पास यह व्यवस्था अभी लगभग 900 करोड़ रुपये की है, लेकिन इस मद में खर्च की जो भी रिपोर्ट आएगी, उसकी हम मानदंडों के अनुसार भरपाई करेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. That is all. Mr. Rathinavel. ...*(Interruptions)*...

SHRI BAISHNAB PARIDA (Odisha): Sir, in Odisha. ...*(Interruptions)*...

3.00 P.M.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; you can ask ...*(Interruptions)*...

SHRI BAISHNAB PARIDA: Sir, please allow me to speak. I have given my name.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You must have given your name, but it is not there. You gave your name after the discussion had started. ...*(Interruptions)*... No, no. I had announced it a number of times. You could have given your name in advance. Now, Mr. Rathinavel.

SHRI T. RATHINAVEL (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to participate in the discussion on the natural calamities occurring in various parts of the country.

Sir, we face the problem of droughts in one part of the country and floods in the other at the same time every year. When we talk about droughts, floods and cyclones or the natural calamities in general, there is a huge loss to lives and property. We know that our Indian economy depends on agriculture and that whenever there is failure of monsoon, there is drought.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY) *in the Chair.*]

And whenever there is more of rains, we have floods. Both cause tremendous damage. When we think about natural calamities, a few that come to our mind immediately, are the Uttarakhand floods in 2013, Tsunami in 2004, earthquake in Bhuj, Gujarat. Droughts and floods in India are perennial problem and people suffer because of both. We are not able to channelize the excess water due to flood in one part and take it to the other part where there is severe drought.

There are solutions to this problem. Here, I would like to say a word about rainwater harvesting scheme that our Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma is implementing successfully in Tamil Nadu. Due to rainwater harvesting, it is seen that the groundwater table increased, and the saline water entering the ground in the coastal areas is stopped. Here, I would like to remind the House that the hon. Prime Minister of India appreciated the efforts of the Government of Tamil Nadu, when he was replying to the Motion of Thanks on President's Address.

Over the years what we have seen is that whenever there is rain and flood, the entire water inundates the villages on the way and enters the sea. If the course of river is streamlined and inter-linked, this huge quantity of rain water could be used for future use. On the other hand, when there is drought, we do not get water even for drinking purposes, leave alone for agriculture and irrigation purposes. We are always at the mercy of other States which have surplus water.

First of all, the Government of India has to nationalize all the rivers of the country for the benefit of the nation. So, interlinking of rivers is absolutely necessary to tackle constant drought and flood problem. There may be some problems in doing this, but they

could be resolved by mutual consultations. When the NDA Government was in power earlier, it constituted a Task Force, which submitted a detailed report on this subject. It could be taken up again and see whether those recommendations could be implemented. It requires huge funding, no doubt. But once done, it could permanently solve the water problem of the country. This only needs a courageous and bold step. I hope the present Government would take this step for the benefit of the nation. As far as Tamil Nadu is concerned, our Chief Minister, hon. Puratchi Thalaivi Amma, has been urging the Centre to implement the interlinking of Mahanadi - Godavari - Krishna -Ponnar Palar-Cauvery under the Integrated Peninsular Rivers Development Programme. This linkage would solve the perennial problem of farm irrigation and drinking water needs of the people in the southern parts of the country. So, I request the Government to kindly allot sufficient money to prepare a Detailed Project Report for this purpose. We could also think of having a separate Southern Water Grid. Here, I am also reminded of what the hon. Minister of Water Resources said in this House last week. It was said that the ILR project would not only provide electricity to the tune of 34,000 MW but also help in implementation of ambitious rural irrigation scheme, irrigating 35 million hectares of land on the way. This will also prevent and control floods in some States.

In order to avoid the natural disasters from happening, we need to protect our environment. We have to take afforestation measures; we need to stop polluting the atmosphere and the environment; we need to nationalize and interlink the rivers of the country so that floods and droughts do not happen in our country and we can see the overall development of the nation. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): प्रो. राम गोपाल यादव। आपके लिए 6 मिनट का समय निर्धारित है।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, हम हर वर्ष प्राकृतिक आपदा के विषय पर चर्चा करते हैं। अब यह चाहे बाढ़ के रूप में हो, चाहे सूखे के रूप में हो, इस विषय पर चर्चा हर वर्ष करते हैं, लेकिन बाढ़ और सूखे के अलावा भी कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, जो बहुत विनाशकारी होती हैं और कुदरत के द्वारा वह आपदा लोगों के ऊपर आती है। हमने लातूर में आए भूकंप, भुज में आए भूकंप और उनसे हुई जन-हानि को देखा है। हमने ओडिशा में आए सुपर-साईक्लोन और उससे हुए नुकसान को भी देखा है। श्रीमन्, सुनामी से पूरे अंडमान-निकोबार से लेकर चेन्नई व आंध्र प्रदेश के कोस्टल इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए। यह किसी से छिपा नहीं है।

इसके अलावा कई बार जब किसानों की फसलें पकने को होती हैं या घर आने वाली होती हैं, कई बार देखा गया है कि ओलावृष्टि तभी होती है। श्रीमन्, ये कुछ ऐसी बातें हैं, जिन्हें natural calamity माना जाना चाहिए, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट ने natural calamity के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया है। अब जैसे पाला पड़ता है जिससे रातों-रात फसल खत्म हो जाती है। श्रीमन् जब मैं एग्रीकल्चर कमेटी का चेयरमैन था, हमारी कमेटी ने कई बार सिफारिश की कि इसे natural calamity माना जाए, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने उसे स्वीकार नहीं किया है। श्रीमन्, कुदरत का नियम है कि टेंपरेचर जैसे ही जीरो

[प्रो. राम गोपाल यादव]

डिग्री से नीचे जाता है, तो पौधे की जड़ें या उनकी पतली-पतली कोशिकाएं जम जाती हैं। इस कारण उन्हें भोजन नहीं मिलता है और पौधा रात भर में नष्ट हो जाता है। खास तौर से आलू, अरहर-ये सब फसलें बरबाद हो जाती हैं, लेकिन इसे नेचुरल कैलेमिटी के अंतर्गत नहीं माना जाता है।

श्रीमन्, एक दिक्कत यह भी है कि जब भी बाढ़ व सूखे की बात आती है, तो एग्रीकल्चर विभाग की टीम नुकसान का एसेसमेंट करने जाती है, लेकिन मदद देने का काम गृह मंत्रालय करता है। इन विभागों में समन्वय की आवश्यकता है। जब प्रभावित क्षेत्रों में एग्रीकल्चर के अधिकारियों की टीम जाती है, उसमें गृह मंत्रालय के अधिकारी भी साथ जाएं, तो लोगों को दी जाने वाली मदद में विलंब ज्यादा नहीं होगा। इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। श्रीमन्, एक और समस्या है जिसे त्यागी जी ने दूसरे संदर्भ में कहा था, लेकिन मैं कहूंगा कि कई आपदाएं *man made* भी हैं। बादल फटना तो कुदरत की दी हुई आपदा है, लेकिन जिस तरह से खनन से या पेड़ों के काटे जाने की वजह से नुकसान हुआ है, वह तो *man made* ही है। पिछले वर्ष हम लोगों ने देखा कि उत्तराखंड में इतनी तबाही हुई कि उसे उसके मूल रूप से लाने के लिए दसियों वर्ष लग जाएंगे। वहां कुदरत ने इतनी बड़ी तबाही की है, लेकिन उस तबाही में आदमी का हाथ था। वहां पहाड़ों को तोड़ने के लिए बड़ी-बड़ी मशीनों का इस्तेमाल हुआ, पत्थर तोड़ने के लिए डाइनामाइट को इस्तेमाल हुआ और धीरे-धीरे पहाड़ लूज होते चले गए। फिर लैंडस्लाइड हुआ और सब कुछ पानी के साथ नीचे आकर विनाश करता चला गया। अभी हमने देखा कि पुणे के पास एक पूरे-का-पूरा गांव ही दब गया। यह इसी वजह से हुआ कि आप वहां मशीनें लगाकर पहाड़ को एक सा कर रहे थे।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): राम गोपाल जी, आपके सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं।

प्रो. राम गोपाल यादव: महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा खतरा देश के ऊपर कभी भी आ सकता है क्योंकि नेपाल और चीन में पानी को रोकने के लिए बड़े-बड़े डैम बनाए गए हैं। हमारी शारदा नदी में इतने बड़े पैमाने पर पानी आ रहा है कि अगर गलती से भी कोई डैम टूट गया या जानबूझकर तोड़ दिया गया तो पीलीभीत से लेकर लखीमपुर, खीरी, रायबरेली - ये सारा का सारा क्षेत्र प्रभावित हो जाएगा। अगर हिंदुस्तान को बरबाद करना है तो आपको इस के लिए एक गोली नहीं चलानी बस एक डैम को तोड़ देना है। आप उसे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? आपने तो एनडीएमए को भी खत्म कर दिया है। यही वक्त होता है, जब हमें डिजास्टर मैनेजमेंट की जरूरत होती है और जिसे आपने भंग कर दिया। उसे आप बनाइएगा।

माननीय गृह मंत्री जी, आप उसी इलाके से हैं, आपके बगल का देश हमेशा यह कहता है कि आप हमारे देश का हिस्सा हैं। भविष्य में उसकी किसी दिन यह साजिश हो सकती है कि जो डैम है, जिधर शारदा नदी या ब्रह्मपुत्र में पानी आता है, अगर उसको उन्होंने तोड़ दिया तो देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे खत्म हो जाएगा, उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसके लिए आप अभी से इंतजाम कीजिएगा। यह मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि कभी न कभी यह मैन-मैड आफत हो सकती है। जब कभी कोई ऐसा विवाद हुआ या ऐसी कोई चीज हुई, तो यह कह देगा कि इसमें कुदरतन ऐसा हो गया, हम इसमें क्या कर सकते हैं? इस तरह तो देश को बरबाद कर देंगे। यह संकट आ सकता है। इसलिए आप पेड़ों को लगाने का इंतजाम कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो आगे आने वाली संभावित आपदाएं हैं, उनके लिए पहले से तैयार रहिएगा अभी आपकी टीम नहीं है, अथॉरिटी डिजॉल्व

चल रही है। आप इसे बनाइए और देखिए कि राज्यों में कहां-कहां कितना-कितना नुकसान हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में देखिए, बारिश हो नहीं रही, लेकिन बाढ़ आ गई। अब इसका क्या किया जाए? सूखा है, लेकिन नदियों में इतना पानी आ गया है कि पूर्वांचल में बाढ़ आ गई, जबकि बारिश नहीं है। यह चीज कंट्राडिक्टरी है। गवर्नमेंट कहेगी कि सूखा है, फिर गवर्नमेंट यह कहेगी कि बाढ़ भी है और आप कहेंगे कि यह कंट्राडिक्टरी रिपोर्ट है, इसलिए हम मदद कैसे करें। तो इस पर आप विचार करें और भविष्य में डिजास्टर से बचाव की तैयारी रखने के लिए मैनेजमेंट को दुरुस्त रखिए, ताकि जो भी आशंका हो, जो भी हो सकता है, उसको पहले से जज करके निपटा जा सके और प्रिवेंट करने की कोशिश की जाए। आप कुछ प्रिवेंटिव एक्शन के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Thank you. Now, Dr. T.N. Seema. Your allotted time is six minutes.

DR. T. N. SEEMA (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, we have witnessed a terrible and horrible tragedy in Uttarakhand last year. Those wounds still bleed. But, Sir, we know that that is not an isolated accident. There are chances of accidents like these in many other parts of the country because large townships have grown on, or too close to, river banks in many parts of the country. A proposed River Zone Regulation, along the lines of the Coastal Zone Regulations, to regulate construction, commercial and other activities along river banks has been under consideration for a long time but has never seen the light of day. Through you, Sir, I would like to know from the hon. Minister whether there is any plan to consider the proposal for river zone regulations.

Sir, hon. Members, Tarun Vijayji and Rajani Patilji, have referred to the CAG Report, which slammed the NDMA for its inefficiency and failure. I am not going into the details because of the time-constraint but, Sir, the NDMA is supposed to be the nodal agency to coordinate all activities regarding disaster management in the country. Is it a fact that the problems of non-procurement of equipments, lack of proper man -power management, poor infrastructure and deficient training are hampering the functioning of the NDMA? How is the Government going to make the NDMA functional? I would like to know from the Government as to what is the performance of the State Disaster Management Authorities? Are they functional? What is the mechanism of coordination between the Central and the State Governments? Is it there only at the time of undertaking relief activities? What is the status of preparedness or training programmes?

Sir, the disaster management policies must incorporate programmes to protect the most vulnerable segments of the society - the poor, marginalized, women, farmers, agricultural workers, SCs/STs, elderly people, children, who are the direct victims of all disasters.

Sir, in this context, I would like to highlight here a few types of natural calamities specific to my home State, Kerala. The region of the Western Ghats of Kerala is identified as one of the major landslide prone areas of the country. During the rainy season every year, now also, one or more places in the hilly districts like Idduki and Pathanamthitta witness

[Dr. T. N. Seema]

sudden landslides causing heavy damage to houses, crops, land and even loss of lives. Kerala is also a place of high incidence of lightning compared to most of the other parts in India. Weather patterns and placement of Western Ghats together cause formation of more lightning clouds. It is estimated that approximately 70 people die and property worth millions of rupees are damaged in the State annually due to lightning. Sir, more than 300 kilo metre of seashore of Kerala is erosion prone area. Extensive seawall construction has failed to arrest the erosion in many cases. The tsunami of 2004 brought a new dimension to the disaster in my State. The sea has been erasing the coast rapidly over the years. We have a very high population density in the narrow coastal belt. So, rehabilitation is a very big challenge for us. Houses in the first row on the coast take the biggest hit leaving the poor fisher families homeless during the rainy months. Even during this monsoon also, hundreds of fishermen families are in relief camps. (*Time-bell rings*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Madam, two minutes have left.

DR. T. N. SEEMA: Yes, Sir.

Relief measures and compensation are being allocated as temporary steps. But what is needed is a permanent and longlasting solution. Unfortunately, coastal erosion and lightning, two disasters that often strike Kerala with fatal consequences, are not mentioned in the Central Government list of natural calamities, despite repeated requests from the State Government. The Centre grants financial support to the States based on this list. A high-powered committee had recommended to include sea erosion and lightning also in natural disasters in their report. So, I would request the hon. Minister, through you, Sir, to consider the long - pending request of Kerala Government and the people to include sea erosion and lightning in the list of natural calamities.

I have saved one minute, Sir. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Thank you. Now, Shri Kalpataru Das. Not present. Shri Y.S. Chowdary. Your time is four minutes. Please maintain the time.

SHRI Y. S. CHOWDARY (Andhra Pradesh): Thank you, Sir. Today, there is a news that the State of Odisha is facing the threat of a major flood in various coastal districts. Sir, this is not the first time. Particularly in Odisha, it has been happening time and again. Unfortunately, though one after another political party has been governing this country post-Independence, none of the Governments has ever at least attempted to do a proper planning across the nation. A report last year warned India to stop viewing natural disasters as standalone 'acts of God' or of nature and to recognize that the country's development policies are increasing the number of deaths. Therefore, there is a need for our every policy to address safety. Written by some of the academicians, aid workers, scientists and analysts, the 'India Disasters Report' said that development works carried out in pursuit of greater

economic growth such as construction of dams and deforestation are putting people and the environment at a greater risk when disasters strike. Everyone knows that even driving a car also generates a lot of pollution and affects the human beings. But we have no option but to reduce the pollution and manage to see that developmental activity takes place. Similarly, while constructing dams and other things, we should see whether it is possible to relocate the people and also minimum damage takes place whenever natural disasters take place. Recently, a landslide in Pune, that has killed more than 100 people and left scores missing, may have been a manmade disaster caused by deforestation to make way for farming, experts say. Hopes of finding survivors are fading after heavy rains triggered Wednesday's landslide, burying dozens of homes in the village of Malin in Maharashtra.

There will always be two types of arguments if the landslide was naturally induced or human induced? Some geologists say that the current landslide is possibly due to human activities like farming and road construction.

Whatever may be the reason, we should stop blaming each other. The country should properly plan for the entire nation and prepare a blueprint to prevent this kind of disaster.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Two minutes are left.

SHRI Y.S. CHOWDARY: We cannot simply say that natural calamities are the makings of God. Today, we are at an advanced stage of scientific and technological development.

An official of the Geological Survey of India said, "Relentless rain naturally was the trigger. But the use of heavy machinery to flatten land for agriculture may have aggravated the crumbling of the hill top.

Sir, I, through this august House, want to make this appeal. To prevent future landslides, there must be very strict regulations on cutting of trees and forests for development in the region, especially in areas that are vulnerable to such natural disasters.

However, the panic of the past week has brought into focus the haphazard development being undertaken in this geologically unstable region. It has also served to highlight the negative consequences of unmitigated construction along the river's embankments made by the Bihar Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Your time is over. Please conclude.

SHRI Y.S. CHOWDARY: Hence, the solution is to prepare a master blueprint to avoid or to, at least, minimise this kind of disaster. Thank you, Sir.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I know that I have a tough task to finish my submissions within four minutes.

Sir, at the outset, I wish to express profound grief with respect to the incident of landslide in Malin village in Ambegaon Taluka in Pune District where several people went missing under the soil and debris. One hundred and fifty one dead bodies have been recovered. The rescue operations ended only yesterday after an eight-day mammoth search.

I am sure, Sir, the whole House will join me in condoling the deaths of the lives lost in the fateful incident that took place early in the morning on 30th July when people were readying themselves to leave for work and small children to their schools.

The State Government efficiently handled the rescue operations. Now, efforts are being made to provide relief and rehabilitation to survivors and attending to health issues of survivors in the adjoining villages. The steps to identify vulnerability of villages, which are similarly located, have been taken.

Sir, we have all witnessed a spate of natural calamities in our country in the past. It could be Odisha, Jammu and Kashmir, Gujarat, Sikkim, Tripura, Himachal Pradesh, Bihar, etc., and the list is endless. There really is no State that is spared.

Uttarakhand deluge is still fresh in our minds. Even today, Sir, several families still live under the empty hope that their near and dear ones would return one day.

Sir, the question whether such incidents are acts of god or acts of man or acts of man aggravated and triggered by onslaught of nature still remains unanswered and unattended leaving us practically with no lessons to learn.

Traditionally, Sir, it is said that India is vulnerable to natural disasters due to its unique geo-climatic conditions. We have witnessed recurrent phenomena of floods, droughts earthquakes and landslides. This we see now is compounded by the incidents of cloudbursts, cyclones and forest fires.

A study shows that the sea level is rising and the glaciers of the Himalayas are melting. These incidents are becoming more and more frequent. The UNFCCC, Sir, has identified India as one of the hotspots for impacts of climate change. We can witness it and it is a reality now.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Two minutes are left.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: Yes, Sir. Secondly, in our pursuit of greater economic growth, we are tending to lend a blind eye to environmental impacts in the process of development. Development that sometimes happens unmindful of environmental consequences naturally results in social and economical consequences. Each one of us here has now realised that climate change is not a phenomenon which is to be restricted to the North and the South Poles, but has reached our doorstep. Sir, we are very fortunate

to have a very senior Member in this august House, Mr. Sharad Pawar, who can be termed as an expert guru to handle disaster situations efficiently and guide this country. After the calamity of Killari in Maharashtra and Bhuj in Gujarat and many such disasters, that he so ably handled, the need of disaster management policy and legislation was underlined. First, I want to make three points and suggestions. One is regarding the Disaster Management Act which came into being in 2005. The CAG Report has been discussed earlier by my colleagues, Rajaniji and Seemaji. So, I would not like to speak on that. But the deficiencies, which have been pointed out, have to be made over. Sir, the Central, the State and the District Disaster Management Authorities have to be put in place. The important aspect is that the immediate response force for any such calamity is the local self government. The local self government disaster management cells have to be strengthened. Local colleges, students and youth groups need to be empowered to make sure that they can handle such situations by volunteering at such times. Second, Sir, we do not have to wait only for the disasters to happen. We will have to reduce the risk strategy.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Please conclude. Your time is over.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: Sir, only one minute. Last year, our former Prime Minister, Dr. Manmohan Singhji, opened a platform for disaster risk strategy. I suggest that it goes down to the local self government. Sir, my last point is that we have to see that adaptation and mitigation measures are taken up. More awareness on climate change has to be created. We know that these are anthropogenic regions why this is happening. We have to go out to the people to make them understand that these are the consequences which are going to happen and we have caused damage for the next 50 to 100 years. Therefore, they have to be prepared for such contingencies.

Sir, my last submission is that these incidents are not stand-alone incidents. They are SOS calls for us to wake up and do something and, therefore, we need a multi - pronged approach to see that we need to ensure a bright, healthy and safe future of our coming generations. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Before I call the next speaker, hon. Members, kindly appreciate that we will have a discussion on the working of the Ministry of Home Affairs. Ten to twelve hon. Members are left to speak on this subject. Therefore, I will request all the hon. Members to confine to the time limit. Now, Shri A.V. Swamy. You have four minutes.

SHRI A.V. SWAMY (Odisha): Thank you, Sir. I come from Odisha, which, over the last two decades, has become an epitome of natural disasters. As Shrimati Vandana said, natural disaster is a hotspot in the country. It is increasingly becoming evident that rapid seasonal change and climatic change impacts are increasing the complexity of disaster vulnerability of the people and posing a big challenge in front of the State Government

[Shri A.V. Swamy]

and humanitarian actors in managing preparedness, response and rehabilitation processes. Every year, the gap is increasing and the current year is a burning example of such a situation in Odisha. Let me put in a chronological example of such a situation. I will share the current situation in Odisha in this year, 2014. From May to mid-June, because of heatwaves, 22 people died. From mid-June to July, because of drought-like situation due to delayed monsoon and sporadic rains, 29 districts were listed as vulnerable and seriously hit. Nabarangpur district received normal rainfall. Out of 29 districts, nine districts were deficient in rainfall. *Kharif* sowing dipped by 38.33 per cent covering 0.387 million hectares against crop coverage of 0.628 million hectares last year. Paddy cultivation, a major *kharif* crop dropped by 43.56 per cent, to 0.239 million hectares from 0.425 million hectares. Then, from 2nd July onwards, flood like situation develops. Immediately following that flood waters have so far affected 9,94,965 people in 21 districts affecting 1,553 villages of 408 gram panchayats and 48 wards. About 1,39,023 people have been evacuated to safer places. In order to provide cooked food 429 free kitchens are operating. So far 27 people have been reported to be dead. They have deployed 11 NDRF and 30 ODRAF teams for the rescue and relief work. My concern is ..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Two minutes more.

SHRI A.V. SWAMY : During the last 105 years, Odisha was declared disaster affected 95 times. Between 1963 and 1999, Odisha had experienced 13 major disasters. I was associated with three of them. These 13 major disasters were estimated to have killed 40,000 people. The frightening situation in natural disasters can be highlighted, how it has aggravated. Between 1834 and 1926 floods occurred with average of 3.84 years interval. Between 1961 and 2000 floods became annual phenomena.

Regarding drought, during 1950 only three districts were drought prone. But by 1980, 25 districts out of 30 districts have become drought prone.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Mr. Swamy, please conclude. Your time is over.

SHRI A.V. SWAMY: Sir, I only want to appeal to the Central Government, other than what has been said, let us not look at floods and droughts or any of these events which are happening as one time thing, and, therefore, give some assistance to the State Government, and forget about it. As already explained by my hon. friend, Odisha is the best place to make an experiment on climatic change, study and amelioration also. They have got indigenous knowledge and techniques which they have approved on management during the Phailin disaster, and it was a zero mortality. As far as drought mitigation is concerned, West part of the State is the worst spot for a drought, we have given a national programme of watershed development on the basis of the technology used by the people in the KBK district. But I would only request the Central Government to take up a pilot project to control climatic changes as a measure. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY) : Shri Rajeev Shuka, your time is six minutes.

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष जी, इस देश की सबसे बड़ी समस्या प्राकृतिक आपदाएं हैं और आजादी के 65 साल बाद भी हम इस समस्या का निदान नहीं कर पाए हैं। किसी को कुछ पता नहीं कि कल कौन सी आपदा उसके ऊपर आ जाए। यह वह देश है, जहां बाढ़ और सूखा दोनों एक साथ आते हैं। यह वह देश है, जिसमें सूनामी भी आने लगी है। यह वह देश है, जिसमें भूकंप का भी खतरा बढ़ता जा रहा है, दिल्ली जैसे शहर में सेसमिक जोन 3 पर है और सेसमिक जोन 4 की ओर बढ़ रहा है। मुंबई सेसमिक जोन 3 पर है। आप समझ सकते हैं कि यहां प्राकृतिक आपदाओं से कितना बढ़ा संकट है। शायद इसी को देखते हुए डा. मनमोहन सिंह की सरकार ने 2005 में "नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी" बनाई थी और उसकी तरफ लगातार ध्यान देकर, जो 2012-13 में 632 करोड़ का बजट था, उसको बढ़ाकर 835 करोड़ किया था। जब इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, तो उस समय हम किस तरह से इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटें और कैसे हम इनसे मुकाबला करें? आज कौन सा ऐसा राज्य है, जो इससे प्रभावित नहीं है? हमें इस बात का दुख हो रहा है कि हमारी नई सरकार इसको प्राथमिकता ही नहीं दे रही है। जो एनडीएमए है, जिसका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोर्ड है, उसका पुनर्गठन ही नहीं हुआ है। सिर्फ इस बात की जल्दबाजी थी कि जो कांग्रेस के लोग बैठे थे, उनको कैसे पहले निकाल दें। उनका इस्तीफा लेकर बाहर करो, उसके बाद बोर्ड चाहे बन या न बने, कोई काम हो न हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इस तरह की अप्रोच बहुत खतरनाक है। ये ऐसी चीजें हैं, जिन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप प्राकृतिक आपदाओं पर राजनीति नहीं कर सकते हैं। क्या आप उत्तराखंड जैसी भीषण बाढ़, इसी तरह से सूनामी, भूकंप आदि पर भी कांग्रेस और भाजपा देखोगे? हमें कम से कम इन चीजों पर तो राजनीति से दूर रहना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि आज तक इसका पुनर्गठन क्यों नहीं हुआ? मैं चाहता हूं कि आज तक योजना आयोग का पुनर्गठन नहीं हुआ है। क्या वजह है कि ऐसी संस्थाएं, यह चाहे योजना आयोग हो, चाहे एनडीएमए हो, इन सबके पुनर्गठन क्यों नहीं हो रहे हैं? जब इनमें लोग ही नहीं बिठाए जा रहे हैं तो काम कैसे होगा? अभी कोई पत्रकार मुझसे कह रहे थे कि पांच बजे के बाद एनडीएमए के दफ्तर पर ताला पड़ा रहता है। वहां पर चार बजे के बाद कोई मिलता ही नहीं है। उसका दफ्तर ही बंद है।...(व्यवधान)...

श्री रामदास अठावले (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष जी...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): रामदास जी आपका वक्त होने वाला है...(व्यवधान).... आपकी बारी आने वाली है...(व्यवधान)...

श्री राजीव शुक्ल : आप क्यों बोलते हैं? आपका इसमें नंबर नहीं आने वाला है। क्योंकि शिवसेना कोटे से मिनिस्टर बन चुका है, इसलिए आपका नंबर नहीं आने वाला है। जब बोलना हो, तो अपना बोलिए, आप हर चीज पर बोलते हैं। आपको समझ नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): रामदास जी आपकी बारी आने वाली है...(व्यवधान)...

श्री राजीव शुक्ल: इसको भी समझना पड़ता है कि कह क्या रहे हैं। उपसभाध्यक्ष जी, यह सरकार इस मामले में बिल्कुल गैर संवेदनशील है। सरकार को इस तरफ ध्यान देकर तत्काल रूप से अथॉरिटी का गठन करना चाहिए। आप जिसको भी लगाना है, उसको लगाओ लेकिन इसका दफ्तर खुलवाओ। इसका दफ्तर बंद रहता है, कोई वहां जाकर शिकायत तक नहीं कर सकता है, अपनी बात नहीं कह सकता है। आपको इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, इसके अलावा मेरा अपना मानना है

[श्री राजीव शुक्ल]

कि कुछ कदम ऐसे हैं, जो सरकार को इस मामले में उठाने चाहिए। जैसे उनको जो सहायता दी जाती है, to protect the rights of those threatened by disaster. It should not be taken as you are doing some charity to them. It is their legal right, which must be given to those who are affected. यह बहुत जरूरी चीज है। इस अप्रोच में चेंज आना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि हमें precautions पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यदि हमारी अथॉरिटी पहले से जितने अधिक precautionary measure अपनाएंगी, तो इस तरह की आपदाएं कभी नहीं आएंगी। अगर हमने precautionary measure का कोई मैकेनिज्म डेवलप किया हो तो हम कम से कम 50-60 परसेंट ऐसी आपदाओं को रोक सकते हैं। इस अथॉरिटी को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले जाना चाहिए और वहां इसके कार्यालय खुलने चाहिए। इसमें पंचायत का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर इसको पंचायती लेवल तक ले जा सकें, तो मुझे यह लगता है कि इसकी efficacy, प्रभावशीलता बहुत बढ़ जाएगी। हमें यह एन्शयोर करना चाहिए कि resistant construction techniques अपनाएं। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम construction के क्षेत्र में है। आजकल कुछ भी, कैसी भी इमारतें और बिल्डिंग्स बना देते हैं। इसकी वजह से बिल्डिंग्स धराशायी होती हैं। जब इस तरह की कोई आपदा आती है, तो बिल्डिंग ठहर नहीं पाती है, इसलिए अरबन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को इस मामले में बहुत सख्त कदम उठाने होंगे। हाउसिंग मिनिस्ट्री, चाहे रूरल की हो, चाहे अरबन की हो, दोनों को इस पर खास तौर से ध्यान देना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन कैसा हो। जैसे उन शहरों में, जो seismic zones में हैं, यह mandatory कर देना चाहिए कि उनका बिल्डिंग बनाते वक्त भूकंप के प्रिकॉशनरी मेजर्स प्रयोग में लाने होंगे। इसको सख्ती से लागू कर देना चाहिए कि उनको ये मेजर्स अपनाने ही पड़ेंगे। जो फार्मर्स फ्लड, ड्राउट से अफेक्टिड हैं उनको special package देना चाहिए। जैसे यूपीए सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करके उनको इस दिशा में एक राहत दी थी। इनको पहले से ही वे पैकेज formulate करके रखने चाहिए। इसके लिए warning system भी बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट को एक warning system डेवलप करना चाहिए। सरकार को खास तौर से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए इस सिस्टम को डेवलप करना चाहिए। यदि कहीं पर इस तरह की कुछ बात हो रही है, तो शीघ्र पता चल जाए। क्योंकि हमारा मौसम विभाग इस मामले में लगातार परिपक्वता की ओर है, यदि वह पहले से ही हमें चेतावनी दे देगा, तो तमाम लोगों को बचाया जा सकता है। जैसे अभी कोसी रिवर के मामले में बिहार सरकार ने इस पर पहल की, जिसका नतीजा यह रहा कि काफी लोग वहां से पहले ही निकलकर आ गए और उनकी जानें बच गई। यदि इस तरह से होगा, तो मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है।

...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): राजीव जी, आपका एक मिनट और है।

श्री राजीव शुक्ल: मेरा मंत्री जी से अनुरोध है, हालांकि सरकार उसको कितनी गंभीरता से लेती है, यह हम समझ सकते हैं क्योंकि हमारे गृह मंत्री जी स्वयं नहीं आए हैं, यद्यपि कायदे से उनको यहां बैठना चाहिए। लेकिन हमारे राज्य मंत्री जी भी सक्षम हैं, इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि आप इस तरफ ध्यान देकर सबसे पहले यह काम करके कि इस अथॉरिटी का तत्काल पुनर्गठन कराएं, उसका दफ्तर खुलवाएं। उसका दफ्तर बंद पड़ा रहता है, कोई दफ्तर में नहीं मिलता है। आप precautionary measures उठाने के लिए मैकेनिज्म डेवलप करें, वहां पर वर्निंग सिस्टम क्रिएट करने की व्यवस्था करें, इसको पंचायत लेवल तक ले जाएं, हर डिस्ट्रिक्ट में इसका कार्यालय खोलें और इसका बजट बढ़ाएं।

उपसभाध्यक्ष जी, मेरे इनसे इतने ही अनुरोध हैं, धन्यवाद।

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र): सर, पूरे देश में जो नेचुरल कैलेमिटीज हुई हैं, उनके बारे में और रिलीफ मेज़र्स के बारे में इस सदन में अनेक बार चर्चा हुई है, फिर भी हर साल यहां विनाश होता है और हम विनाश को टाल नहीं सकते। उत्तराखंड के केदारनाथ क्षेत्र और अन्य स्थानों पर तो बहुत बड़ी आपदा आ गई और सब कुछ ध्वस्त हो गया। एक साल बाद भी हम उस हादसे को भूल नहीं सके और न कभी भूल पाएंगे। यह हर साल की घटना है। अतिवृष्टि होती है, लैंडस्लाइडिंग होती है, बादल फटते हैं, उसके पहले सूनामी आ गई। अभी हमारे महाराष्ट्र में पुणे जिले में एक जीता-जागता गांव, मालिन पहाड़ के नीचे दब गया और ध्वस्त हो गया। मेरा प्रश्न है कि यह सब जो हो रहा है, क्या ये नेचुरल कैलेमिटीज है, क्या ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं या इसके पीछे मनुष्य का भ्रष्टाचार है और ये आपदाएं मानव निर्मित हैं? इस आपदा का सबसे बड़ा कारण है मनुष्य की लालच और भ्रष्टाचार, जिसके कारण हम लगातार प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और इसका परिणाम भुगत रहे हैं। यह जो मालिन गांव है, उस गांव का हादसा हमारे सामने हुआ। जहां एक गांव था, उस रास्ते से हम बहुत बार गए। उस पहाड़ पर बार-बार गए, लेकिन जहां मालिन गांव था, आज वह गांव नहीं है। पूरा का पूरा गांव पहाड़ धंसने से खत्म हो गया। 70 घरों का एक गांव था, लगभग 700 लोगों की आबादी थी, लेकिन अब वहां 50 लोग भी नहीं बचे हैं। उस दिन पुणे में मूसलाधार बारिश थी, बाढ़ जैसी स्थिति थी, जिससे पहाड़ दब गया, गांव नष्ट हो गया और किसी को खबर तक नहीं लगी। वहां रोज सुबह के समय राज्य परिवहन की एक बस आती है। उस बस के कंडक्टर को पता चला कि यहां जो गांव था, जो रास्ता था, वह दिख नहीं रहा है, तो गांव कहाँ गया?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Two minutes more.

श्री संजय राउत: उसके बाद सबका पता चला कि यह गांव दब गया है, यह गांव खत्म हो गया है। बाद में सरकारी मशीनरी जागी और दो-चार घंटे के बाद वहां कलक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एम्बुलेन्स वैगरह पहुंचे। अगर वह बस वहां नहीं आती और कंडक्टर को पता नहीं चलता, तो और एक दिन तक किसी को समझ में नहीं आता कि गांव पहाड़ के नीचे दब गया है। यह हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है और यह हमारा सुस्त प्रशासन है।

सर, इसी प्रकार की घटना, जो उत्तराखंड में हुई थी, जिसमें हजारों निर्दोष लोगों की जानें गई थी, उस वक्त भी वहां के जो मौसम वैज्ञानिक थे, उन्होंने चेतावनी दी थी कि बादल फट सकते हैं, भारी बाढ़ आ सकती है। इसकी जानकारी उत्तराखंड सरकार को मिली थी, फिर भी जो लाखों श्रद्धालु वहां पहुंचे थे, उनको रोकने का काम किसी सरकार ने नहीं किया। इसी प्रकार से जो मालिन की दुर्घटना हुई, इसके बारे में भी चेतावनी मिली थी। नासा ने इसके बारे में चेतावनी दी थी। नासा की तरफ से कुछ पिक्चर्स और कुछ जानकारी भी दी गई थी कि यहां भूस्खलन हो सकता है और भारी बारिश हो सकती है, लेकिन फिर भी हमारा प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोता रहा और देखते-देखते 700 की आबादी वाला एक गांव ध्वस्त हो गया। इसके लिए हम डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स बनाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, लेकिन जब ऐसी घटना होती है, तब हम जागते हैं। जब तक यह सरकारी सुस्ती और लापरवाही बंद नहीं होगी, तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY) : Please conclude.
There are a lot of speakers.

श्री संजय राउत: आज भी घटना के 8 दिन बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं?

सर, दूसरी बात, मुंबई, थाणे, नवी मुंबई और पुणे जैसे शहरों में आज भी ऐसे बहुत से पहाड़ हैं, जहां लोग रहते हैं। **...(समय की घंटी)...** लोगों ने पहाड़ के ऊपर बड़े-बड़े होटल्स बनाए हैं। लोगों ने पहाड़ के ऊपर फाइव स्टार होटल्स बनाए हैं। हम लोग पहाड़ों पर बड़े-बड़े बंगले, बड़ी-बड़ी रेजिडेंशियल स्कीम्स बनाते हैं और उसके लिए पहाड़ों की खुदाई करते हैं, लेकिन उसके नतीजे हमें बाद में भुगतने पड़ते हैं। सर, इस बारे में हमारे पास कठोर कानून है, हमने नियम बनाए हैं, Geological Survey of India बार-बार हमें चेतावनी देता है, फिर भी सरकार कुछ नहीं करती। हमारे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता केबज है, उनके लिए भी चेतावनी मिली है कि अजंता केबज धंस सकती हैं, पहाड़ नीचे आ सकता है।

सर, सरकार को इन सब चीजों को गंभीरता से लेना चाहिए और इनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बार-बार ऐसे हादसे होते रहेंगे और हम लोग सदन में सिर्फ चर्चाएं ही करते रहेंगे। धन्यवाद।

SHRIMATI NAZNIN FARUQUE (Assam): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak in this august House on the subject of natural calamities. Natural disasters strike without notice. Now, with the changing climate, extreme rain, tropical cyclones and variable weather, events will intensify. All this will make our world even more vulnerable and more hazardous. The question is why civilian India remains so unprepared to deal with disasters, to forewarn people, to handle the crisis and to rehabilitate the affected people. Every time we have a natural disaster exacerbated by human mismanagement of the environment we are caught on the wrong foot. Worse, Government agencies make every possible excuse to pass the buck about their failure. In all this, we lose precious human lives.

We know that Himalayan Range, the world's youngest mountain range, is lashed by heavy rains, prone to landslides and flash floods. In addition, it is located in a highly seismic zone, which makes the region ecologically very vulnerable. Each year, with increasing ferocity and certainty, this region sees disasters from landslides to earthquakes. We know all this. Therefore, clearly this is a disaster hotspot which needs attention and focus.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*.)

Disaster Management demands, firstly, scientific knowledge to understand and map our vulnerability. It is always easy for agencies like the National Disaster Management Authority (NDMA), set up post- December 2004 tsunami, to fluently talk about a new early warning system. But the fact is that we do little to plan and prepare ahead. Predicting extreme rainfall and cloudburst is possible. Scientists talk about "now-casting" technologies, using Doppler radar and automatic stations to predict in real time, events to happen. Secondly, understand that instrumentation, however important, however sophisticated, will not save lives. Science can merely help us predict natural disasters, but that's only a warning about

our vulnerability. In Uttarakhand's case, the regional meteorological office had forecast extreme heavy rain up to 200 mm. This is clearly a dire warning. The disaster management establishment should have swung into action, issued weather warning, evacuated pilgrims from the most populated sites and stopped others from proceeding to the hills. But nothing like this happened. Instead, after the disaster, NDMA Vice-Chairperson has been quick to pass the blame on to the Meteorological Department, saying they did not inform them of the quantum of rain. And, when told that they did, he went on to say that the exact location was not told. This is ridiculous and unacceptable. Thirdly, Sir, floods do not kill. Buildings and bad planning does. Therefore, once we understand the vulnerability of seismic, landslide and flood-prone areas, we have to use this knowledge to ensure that structures that come up are not in the vicinity of waterways and are earthquake resistant. But this is precisely where we fail completely. We do not need new science to teach us that our Government agencies must strictly regulate building plans. In Uttarakhand, construction has happened everywhere. Kedarnath satellite images clearly show how settlements to house thousands of pilgrims came up in the direct path of the streams emanating from the mighty Himalayas. This should not have been allowed. Safety is always an afterthought for us. Until the next disaster strikes, agencies like the NDMA will temporarily shift gears to talk about the need for better preparedness and coordination. This is our real tragedy ...(time-bell rings)... In case of a disaster or an emergency, before any Government machinery or outside help is galvanized, it is the community which has to respond immediately.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; you take one minute more.

SHRIMATI NAZNIN FARUQUE: Sir, I want to place before you about the issues of North - East region - - Assam and Arunachal Pradesh. We are a flood -affected area. Sir, lot of people gets killed every year due to floods and lakhs of acres of land is destroyed by river Brahmaputra.

Sir, you also know that world's largest national park, Kaziranga National Park, is in Assam. In Kaziranga also, because of floods, lot of animals and cultivated land is swept away by Brahmaputra river. So, my humble request to the Government is to take some serious steps to control natural devastations in Assam and North - East. Sir, one more thing is ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, okay. Now, please, conclude.

SHRIMATI NAZNIN FARUQUE: Sir, please give me half-a-second.

I hope the Government will take serious note of these matters and help the people of Assam and North - East as soon as possible. Thank you.

SHRI BAISHNAB PARIDA: Sir, thank you very much for permitting me to speak on this subject.

Sir, natural calamities are a regular phenomenon in our country. Floods, drought, cyclone, cloudburst, landslide, earthquake, Tsunami create enormous devastation and loss of life and property. During the British time in India, this country was visited by famine once in every decade by killing lots of people. In 1866, there was a great famine in Odisha called *Na Anka Durvikhye*, Sir, 1/3rd of Odisha's population was perished and lakhs of livestock killed. It had devastated the social and economic life of Odisha. Till today, the impact is not eliminated.

In 1943, Odisha had faced a massive famine along with undivided Bengal. Sir, flood is a regular feature in Odisha. After Independence, some measures are taken to control the devastating floods of Mahanadi, Brahmani and Baitarani rivers. But, a lot is still to be done even today.

Sir, Odisha has three natural enemies — flood, drought and cyclone. It is because of these, Odisha is now the poorest State in India. In every 10 years, Odisha faces one cyclone. Last year, there was a cyclone and the entire coastal districts of Odisha destroyed. Now, Odisha is facing, after drought, massive floods. Sir, about 300 Panchayats flooded with heavy rains. It was reported to the Central Government and the hon. Home Minister has promised to provide certain relief and even helicopters. For that, I am expressing my thanks to the Government and we want permanent solution/measures to meet these natural disasters. Some other disasters are man-made. But, both the disasters should be faced with some concrete measures. My suggestion is to strengthen the National Disaster Management Authority so that the Authority can meet anywhere in India, at any time, when such disasters take place. Then, we must utilise the advanced technology, weather forecasting, advanced warning systems in our country so that the people are informed and warned about the coming or sudden disaster, whether cyclone or flood or cloud burst which is coming. We must also stop the deforestation process in our country. We should also stop digging of hills, which has created a natural disaster in Maharashtra. The States should be provided with relief and rehabilitation materials immediately when a disaster takes place, which affects a particular State in India. A proper plan to meet the natural calamity or disaster should be prepared by the national Government with the help of States also so that we can stop the national loss-loss of property and loss of life. With these words, I thank you.

श्री उपसभापति: श्री रामदास अठावले। आपके पास सिर्फ चार मिनट हैं।

श्री रामदास अठावले: डिप्टी चेयरमैन सर, पूरे देश में और पूरी दुनिया में natural calamities में बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है और इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। मेरे पास 2013-14 के आंकड़े हैं, उसमें यह है कि एक साल में कम से कम 2,964 लोगों की मृत्यु हुई है, 1,02,330 मवेशी मर गए हैं और अगर आप the number of houses को देखें, तो 13,16,805 हाउसेज destroy हुए हैं, 61.25 लाख एकड़ में खेती का नुकसान हुआ है। इससे इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। अभी महाराष्ट्र के पुणे के मालिन नामक गांव में भूस्खलन हुआ है, जहां मैं इसके पहले गया था, वहां हमारी पार्टी की शाखा भी थी, वहां 150 लोगों की मृत्यु हो गई है। वहां पर पहाड़ एकदम ऊंचा है। मेरा सरकार से यह

4.00 P.M.

निवेदन है कि जहां-जहां ऐसे गांव हैं, जहां-जहां ऐसी डेंजरस जगहों पर बस्तियां हैं, ऐसी बस्तियों का पुनर्वासन करने की आवश्यकता है। उसी एरिया में यानी अम्बेगांव ताल्लुका में 54 गांव हैं, वहां पर पहाड़ एकदम ऊंचा है, वहां पर कभी भी इस तरह की natural calamity हो सकती है, इसलिए उन गांवों का सर्वे करके उनको वहां से हटा कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाना चाहिए। हमारी यह मांग है कि सरकार को इस संबंध में कोशिश करनी चाहिए।

महोदय, मालिन गांव में जिन 151 लोगों की मृत्यु हुई, उनक परिजनों को राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए दिए और केंद्र सरकार ने 2 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन मेरी मांग यह है कि उनके परिजनों को कम से कम 15 लाख रुपए मिलने चाहिए और उनका पुनर्वास जल्द से जल्द करना चाहिए। एनडीआरएफ के जो जवान वहां पर गए थे, अभी उनका काम थोड़ा रुक गया है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर) पीठासीन हुए,]

आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में 1994 में भूकंप भी आया था। उसी तरह से उत्तराखंड में भी पांच हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। Natural calamity के रूप में कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा होता है, कभी भूकंप आता है, तो कभी भूस्खलन होता है। बाढ़ और सूखे को रोकने के लिए नदियों को जोड़ने की बात हुई थी। अटल बिहारी बाजपेयी जी जब प्रधान मंत्री थे, तब उन्होंने नदियों को जोड़ने के लिए एनाउंस कर दिया था। डा. मनमोहन सिंह साहब ने भी इसके लिए थोड़ी कोशिश की, लेकिन वह काम पूरा नहीं हुआ। अब उस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी इस सरकार पर है। बाढ़ से फसल का नुकसान होता है, इससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है और बहुत सारे गांव भी बह जाते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि नदियों को जोड़ने का जो काम है, वह जल्द से जल्द होना चाहिए। नदियों को जोड़ने से जहां बाढ़ आती है, उस पानी को जहां कम बारिश होती है, वहां पहुंचाया जा सकता है। ऐसा करके बाढ़ को रोका जा सकता है और इस तरह से बाढ़ से होने वाली लोगों की मृत्यु को भी रोका जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि नदियों को जोड़ने का जो काम है, वह ठीक है, क्योंकि जहां बाढ़ आती है, वहां का पानी, जहां कम बारिश होती है वहां काम आएगा। मुझे लगता है कि नदियों को जोड़कर बाढ़ को रोकने की आवश्यकता है, लोगों की मृत्यु को रोकने की आवश्यकता है, फसलों को बचाने की आवश्यकता है और उससे सूखा प्रभावित इलाकों में भी पानी पहुंच सकता है।

अभी हमारे मित्र शुक्ल जी बोल रहे थे कि इसका गठन नहीं हुआ, उसका गठन नहीं हुआ, लेकिन मेरा कहना है कि पहले आप हमें पठन तो करने दीजिए, पहले हमें स्टडी करने दीजिए, बाद में हम गठन करेंगे। अभी पांच साल हमें गठन करने का काम करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि इस विषय में राजनीति को लाने की आवश्यकता नहीं है। हमको मौका मिला है तो हम काम करेंगे। आपको आराम करने का मौका मिला है, आप आराम कीजिए, हम काम करते रहेंगे और आप भी हमें गाइड कीजिए। सरकार का अर्थ यह होता है कि विरोधी दल भी अपना ही होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे लोकतंत्र में इलेक्शन की व्यवस्था दी है। आप इतने दिनों तक सत्ता में थे, अब हम सत्ता में आ गए हैं। जब आप सत्ता में थे, तब हम अपोजिशन में बैठकर हंगामा करते थे, अब आप लोग हंगामा कर रहे हैं। ...**(समय की घंटी)**... यह ठीक बात है, हमें हंगामे की भी चिंता नहीं है, आप हंगामा कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने के लिए हंगामा करना ही चाहिए। आपने इतने साल आराम किया है, इसलिए अब आपको थोड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता है। हम लोग आंदोलन करते करते थक गए थे, इसलिए अब हमें आपको पांच साल में थकाना है। आप इतना आंदोलन कीजिए, इतनी

[श्री वी.पी. सिंह बदनौर]

आवाज उठाइए कि हमें मालूम हो कि विरोधी दल वाले भी आवाज उठाते हैं। मेरा मानना है कि इसमें राजनीति लाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि नैचुरल कैलेमिटीज के मामले में हम सब लोगों को एक होना चाहिए। जब पाकिस्तान और भारत की लड़ाई होती है, चाइना और इंडिया को लड़ाई होती है, तब हम सब एक साथ होते हैं। जब मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे, तब मैं उनके साथ ही था, अभी मैं दो साल से इधर आया हूँ। मुझे लगता है कि नैचुरल कैलेमिटीज के विषय पर हम सबको राजनीति नहीं करनी चाहिए, हम सब लोग एक हैं। महाराष्ट्र के पुणे में जो 151 लोग मारे गए हैं, उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इस तरह की घटना न घटे, उसके लिए सरकार ने — हमारे होम मिनिस्टर साहब, राजनाथ सिंह जी यहां आए हैं, *he is the king*. आपके पास होम मिलिट्री है, इसलिए लोगों की रक्षा करने के लिए आप सब लोगों के साथ बैठकर प्लान करें। मुझे लगता है कि सरकार इस पर निर्णय लगी और हम सब लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने का काम करेंगे। जय भीम।

SHRI AVINASH PANDE (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this subject. Sir, as we are all aware, the landslide in Malin village near Pune on 30th July claimed the lives of over 130 people. As we speak here, Sir, the National Disaster Response Force is nearing the end of its relief and rescue operation in extremely difficult marshy terrain and harsh weather conditions, rescuing survivors and making sure that the victims of this tragic disaster are given their last rites with dignity. The extent of devastation can be gauged from the fact that the NDRF personnel had to excavate and remove many of these bodies in a decomposed state.

But, this is not a story devoid of hope. Soon after the landslide occurred, a three month old baby and his mother trapped under the mound of cascading debris were successfully rescued after being trapped for more than eight hours. The NDRF personnel located the mother and the child in distress, thanks to loud, incessant crying of this infant which continued for almost eight hours. Over a hundred youths from surrounding towns and villages trekked across the hills to assist the relief and rescue operations and provided access to medical aid to the survivors. There is an unmistakable lesson in these stories, an old saying that we hear time and again, 'God helps those who help themselves'.

The role of armed forces in relief and rescue operations has been paramount. Our brave men in uniform have risen to the occasion as first responders and protected the lives of our people in distress, whether it was in Uttarakhand cloudburst in 2013 or the heavy rainfall in Mumbai in 2006 or the Bhuj earthquake in 2001, to name only a few. However, we cannot rely solely on the military for such crisis situation during the natural disasters and divert the forces from their core functions.

We must take into consideration the strengthening of our civil defence system as a 'first aid' mechanism in times of such catastrophes. If quick action is taken immediately by persons who are in physical proximity to the location of the disaster, much damage can be mitigated by training and empowering civilians to act in times of crisis.

Presently, the NDRF unit in Maharashtra is based at Talegaon Dabhade in Pune's Maval Taluka, which affects its response time during emergencies. It is imperative that the Centre initiates the process of providing technical and strategic know-how in order that the State Governments may uniformly constitute and train a strong civil defence corps for swift action in times of emergency.

Sir, this is, probably, the most important lesson to emulate and implement uniformly throughout the country - the lesson of preparedness. In this pursuit, after visiting the site of disaster on the same day, hon. Chief Minister of Maharashtra, Shri Prithviraj Chavan, announced the formation of two emergency response team units for the State of Maharashtra along the line of NDRF.

Sir, I hereby would like to mention that between January and April, 2014 this year, there was a heavy hailstorm in different parts of Maharashtra. Barring five districts of Maharashtra, all other districts were badly affected by the hailstorm. I would also like to mention here and commend the decision of the Maharashtra Government who has made a provision of about ₹ 250 crores for relief in the calamity fund, which earlier was only ₹ 150 crores, which has been raised of ₹ 100 crores. Recently on 30th of April, it has been increased to ₹ 2,500 crores.

Sir, I must commend the hon. Home Minister and the Government of Bihar for their timely warning and successful evacuation of over 60,000 people from villages near the Kosi. Though the threat of impending flood now seems to have subsided, the NDRF personnel deployed for the evacuation will continue to stay in these villages for some more time as a precautionary measure.

Sir, the Government must focus on further developing the prediction and timely warning systems for information dissemination so that the loss of life and property can be prevented whenever possible. It is also extremely important that we learn from such experiences to strengthen our response to such calamities if they arise in the future. There has been a speculation that the Malin tragedy may have been triggered by man-made causes. I am grateful that the hon. Minister has commissioned a scientific investigation and analysis by the Geological Survey of India to delve into the root causes of the disaster. If it is indeed a fact that the line between natural calamities and man-made disasters are blurring, it will then become imperative for the Government to take appropriate corrective measures, and a re-look at the model of development that we intend to pursue. Even in the past, there has been a concern that harsh weather conditions, which take the form of such calamities are expected to intensify as a result of global warming and climate change. It will then be indispensable that environmental and industrial developments are not treated as mutually exclusive domains which are at odds with each other. I hope that the hon. Minister will undertake further action and re-formulation of policy if required to ensure that man-made causes of natural disasters are identified and their effects minimised. Thank you.

DR. K.P. RAMALINGAM (Tamil Nadu) : * Hon'ble Chairman Sir, we are speaking about natural calamities. Our country, India, is a crown in the world map. In the North, it is surrounded by Himalayas. Other three sides are surrounded by seas such as Bay of Bengal, Arabian Sea and the India ocean. We can say, India is a gift of nature. First, Man started worshipping nature. During the time when man worshipped nature, nature did not disturb him. Later, man shifted to idol worship. He stopped worshipping nature. The result is natural disaster. The recent example is Uttarkhand. Uttarkhand may be a natural disaster but it is a man made disaster.

Our population is more than hundred crore. We have many diversities like many languages and many cultures. But we are united by nature. Two thousand years ago, a great grammar book is written in Tamil by a wise man called 'Tolkappiar' and his book is known as 'Tolkappium'. He did not merely address land as land. He classified land into five categories such as Kurinji, Mullai, Marutham, Neithal and Paalai. He addressed forest land as Kurinji. He addressed the hilly regions as Mullai. He addressed the plain valleys as Marutham. He addressed the coastal region as Neithal. And finally, he addressed the desert as Paalai. Thus, nature was divided into five categories and men lived in unison with nature. No natural calamity happened then. But now, we have none of this category of land. We do not know where Kurinji is found, we do not know where Mullai is found, we do not know where Marutham is found, we do not know where Neithal and Paalai are found. We have destroyed all categories of land to such an extent that we can not differentiate them.

Man has gone to the extent of destroying all kinds of nature for the sake of this livelihood. Today, landslide is happening at Kanyakumari. Men build houses near coastal areas. He drops stones at sea and thereby diverts the direction of seas. We change the direction of flow of rivers. We construct buildings at the banks of rivers. Canals, lakes and ponds are destroyed to construct buildings. Permission is granted for that. That is why, a twelve storeyed building had collapsed at Mouliwakkam in Chennai. ...(*Time-bell-rings*)...

DR. K.P. RAMALINGAM: Sir, now only, I have started.

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर): ऐसा नहीं होता है।

DR. K. P. RAMALINGAM: Sir, I have started speaking just now. A member from Trinamool Congress is not speaking. I request you to add his time also in my speech. The main reason for natural disaster is that our lifestyle has changed. Wherever we build places of worship, wherever we build industries, and wherever we construct house, we take nature for granted. Therefore, sir, I suggest, whatever step we take for development, we have to live in unison with nature. We have to live in such a way not to disturb nature. Only then, can natural disaster be avoided. In such a way, we can protect ourselves. We can protect the country also. Prevention is better than cure. That is history. Many efforts have been taken by both the Central and State Governments to manage natural disasters. We have to cooperate with them. We have to prevent disasters. At this juncture, I appreciate all my colleagues who have taken part in this discussion. With these words, I conclude my speech. Thank you.

*English translation of the original speech made in Tamil.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE) : Shri Bhubaneswar Kalita, not present. Dr. Sanjay Sinh.

डा. संजय सिंह (असम): सम्माननीय महोदय, आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। इसी सदन ने कुछ ही दिन पहले पुणे के मालिन गांव की घटना में मृतकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। दुख तो इस बात का है कि केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 2013 में ही यह संस्तुति की थी मालिन गांव को अति संवेदनशील घोषित करके वहां पर किसी भी तरह का विकास कार्य न किया जाए, इसके बावजूद वहां पर बहुत सारा इरोजन हुआ, बहुत सारा खनन हुआ और इसी वजह से मालिन गांव का यह परिणाम निकला।

माननीय महोदय, बहुत सारी चीजों के डाटा बताते हैं कि हमारे देश में हर साल भूकंप से, चक्रवात से लगभग चार हजार व्यक्तियों की जान जाती हैं, हर साल बाढ़ से लगभग तीस हजार लोग प्रभावित होते हैं, लगभग चालीस लाख हेक्टेयर भूमि भी प्रभावित होती हैं। हमारे देश में पिछले बीस सालों में लगभग पैंतीस हजार लोगों की जानें जा चुकी हैं केंद्रीय सरकार ने 2009 में राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक आपदा प्रबंधन के लिए समितियां बनाईं। उसके लिए बजट एलोकेट हुआ, तमाम सारी व्यवस्थाएं हुईं। इधर असम में हर साल ब्रह्मपुत्र नदी से लोगों का बहुत नुकसान होता है, हजारों लोगों के मकान बह जाते हैं, लाखों लोगों की जमीनें प्रभावित होती हैं। हमारे सामने बहुत तरह के ऐसे डाटा हैं, जो सर्वे के बाद यह बताते हैं कि हमारे देश को इस बात की जानकारी है कि किन नदियों से बाढ़ आती है, देश के करीब 22 राज्यों में एक से ज्यादा राज्य आपदा के खतरे से प्रभावित होते हैं, चार करोड़ हेक्टेयर भूमि बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील है, 57 परसेंट भूमि पर भारी तबाही के, भूकंप आने के संकेत बने रहते हैं, 68 परसेंट से ज्यादा खेती योग्य भूमि सूखे के साये में प्रभावित होती है। दुनिया के ऐसे 6 संवेदनशील देशों में अपना भारत भी एक है। आज हमारे पास तमाम तकनीकी व्यवस्था भी है, जिससे वॉर्निंग दी जा सकती है।

माननीय महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे तमाम सभी सदस्यों ने, पूरे सदन में हर पार्टी के साथियों ने अच्छी बात कही, उचित बात कही, आवश्यक बात कही। हमारे यहां 2004 में सूनामी भी आया था, 2011 में जापान में भी सूनामी आया था। मैं यहां एक बात कहकर उनके स्टेटमेंट को एप्रिसिएट करना चाहता हूं, जापान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि न हमें पैसे की कमी है, न हमारे देश में कमिटमेंट की कमी है, न हमारे देश में लोगों में आत्म-विश्वास की कमी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि तीन से चार महीने में जापान ने हजारों किलोमीटर सड़कें, हजारों किलोमीटर रेल लाइनें और बिजली, पानी की सभी व्यवस्था कर ली थी। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि कहानी कहां पर है? प्लॉटेशन की भी चर्चा हुई। आपको मैं एक उदाहरण दे दूं कि 80 के दशक में उत्तर प्रदेश में सोशल फॉरेस्ट्री कार्यक्रम चला था, जब उसका मैंने डाटा मंगाया तो पता चला कि प्लांटेशन उतना हो गया, जितनी वहां जमीन ही नहीं है। इस तरह की तमाम ऐसी चीजें मैं बयान कर सकता हूं। अगर गंभीरता से सोचा जाए, तो हमारे देश में एक कहावत है कि प्रकृति के साथ जब हम खिलवाड़ करते हैं, तो प्रकृति उसका बदला लेती है। आज क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हमारे बजट हैं, हमारे एक्ट्स हैं, हमारी कमेटीज हैं, हमारे लोग हैं, specialized departments हैं, उससे फाइट करने के लिए लोग भी तैयार हैं, हमारी आर्मी है, नेवी है, सबका उपयोग होता है, लेकिन क्या हम कमिटेड हैं? क्या हमें अपनी इस चीज से प्यार है? अभी मालिन गांव की चर्चा पूरे सदन ने की। हमने भी उसकी चर्चा की। जब 2013 में उसे अति संवेदनशील घोषित किया गया था और वॉर्निंग थी कि

[डा. संजय सिंह]

यहां पर कुछ भी विकास का काम न हो, तो हम क्या कर रहे थे? हमने ऐसा खिलवाड़ क्यों किया? आज हजारों लाखों जिंदगियां क्यों तबाह हो रही हैं? किसलिए? इसलिए कि हमें थोड़ा पैसा मिल जाता है। मैं आज आपको स्पष्ट कहूँ कि जितना भी डिजास्टर मैनेजमेंट का बजट होता है, हमारी ब्यूरोक्रेसी उसे एकदम फ्री का पैसा मानती है। मैं अस्सी के दशक की फिर चर्चा कर रहा हूँ। यहां पर गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर घाघरा नदी से प्रभावित होते हैं। यहां पर बरसात होती है, बाढ़ आती है, मिरजापुर से और प्रदेश के दूसरे जिलों से पत्थर आते हैं, वहां कटान रोकने के लिए पत्थर रखा जाता है, पानी रिसीड कर जाता है, पत्थर वहीं नीचे चला जाता है, फिर ऊपर रख दिया जाता है, पूरा ट्रांसपोर्ट का, सब चीज का पैसा लिया जाता है, तो ये सारी हमारी जो कमियां हैं, ये मानवजनित कमियां हैं। मैं सरकार से केवल एक चीज कहना चाहता हूँ कि सुल्तानपुर जिले में हर साल सड़कें बन रही हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया मोटरें आ रही हैं, बहुत अच्छी मोटर साइकिलें आ रही हैं। ऐवरेज हर महीने बीस से बाईस लोग जो एक्सीडेंट्स में मरते हैं, उनके लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ये सारी चीजें तो हम जुटा रहे हैं। हम आदमी की भौतिक परिस्थितियों को, उसके सुख को बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या इंसान को भी हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं? हमारी शिक्षा का क्या हाल है? क्या हमारे कॉलेजेज, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे विश्वविद्यालय... मैं अमेरिका में एक मित्र के यहां रह रहा था, उसका पड़ोसी छुट्टी पर गया। जब वह छुट्टी पर गया, तो मेरे मित्र ने कहा कि हमें उसका लॉन भी ठीक करना है, हमें उसका पेड़ भी ठीक करना है, हमें सिंचाई भी करनी है, hedging भी करनी है। जापान में कोई भी व्यक्ति रहता है, तो वह अपने आसपास, चाहे जिसका पेड़ हो, जिसका लॉन हो, चाहे जो हो, वह अपने ऊपर ले लेता है कि यह हमारी जिम्मेदारी है। ...**(समय की घंटी)**... माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना आग्रह करना चाहता हूँ कि आज जो सबसे महती आवश्यकता है, वह उनको ट्रेनिंग देकर भारत के प्रति, अपनी प्रकृति के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने पड़ोस के प्रति, अपने परिवार और तमाम सारे लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराने की है। उसे ठीक करना, मुझे पहली आवश्यकता लगती है। मैं समझता हूँ कि आज हिंदुस्तान का इंसान, जब अपने देश और अपनी प्रकृति से प्रेम करने लग जाएगा, तो ये सारी चीजें अगर होती भी रहेंगी, तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं होगा।

श्री बिश्वजीत दैमारी (असम): सर, नैचुरल कैलेमिटीज के बारे में जो चर्चा यहां पर चल रही है, उसमें अभी हमारे साथी संजय सिंह जी ने, जो असम से आते हैं, उन्होंने असम के बारे में कहा। असम एक ऐसा राज्य है, जो हर साल प्राकृतिक आपदा से पीड़ित होता है वहां ऐसी आपदा से बचने के लिए या इससे सुरक्षा की व्यवस्था के लिए, आज तक ठीक ढंग से कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। वहां पर बहुत सारी नदियां हैं, जो पहाड़ों से अचानक बाढ़ के रूप में बहकर आ जाती हैं, जब भी वहां बारिश होती है। वे इतनी स्पीड में आती हैं कि उनका पानी सिर्फ खेती-बाड़ी या घर में ही नहीं घुसता, बल्कि उस पानी में सारे घर, जमीन वगैरह बह जाते हैं। असम एक बैकवर्ड राज्य है, इसलिए लोगों को इतना पता नहीं है कि वहां पर बाढ़ के समय, ऐसी प्राकृतिक आपदा के समय कितना नुकसान होता है। वैसे तो असम में जो बोडोलैंड इलाका है, इसकी प्रॉब्लम बहुत ही खतरनाक है। जो प्राकृतिक आपदा आती है, उसमें राहत के लिए उसमें लोगों को बचाने के लिए जितना भी काम किया जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट की व्यवस्था के जरिये वह व्यवस्था राज्य सरकार के जरिए, जिले के डीएम के जरिए की जाती है। उसमें चार जिले, जो बोडोलैंड टैरिटोरियल काउंसिल के इलाके हैं, जिनका भारत के संविधान के सिक्स्थ शैड्यूल के जरिए गठन किया गया, उन चार जिलों में इसकी कोई व्यवस्था नहीं

है, अभी भी वहां पर कोई डिजास्टर मैनेजमेंट चालू नहीं है। बोडोलैंड टैरिटोरियल काउंसिल में सारे राज्यों की तरह, डिपार्टमेंट की जो क्षमता है वह उसे दिया गया है, लेकिन केंद्रीय सरकार के जरिए ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए जो योजना बनाई जाती है। उसको वहां पर कार्यान्वित करने के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं हैं जिससे बोडोलैंड टैरिटोरियल काउंसिल में यह सुविधा मिल सके। मैं मंत्री जी से सीधा अनुरोध करना चाहता हूं कि जो सिक्स्थ शैड्यूल एरियाज है, जहां पर डिप्टी कमिश्नर या डीएम का कोई काम नहीं होता है, वहां पर ऐसी आपदा के समय काम करने के लिए सारे डिपार्टमेंट के लोग जाने चाहिए। उसमें किस तरह से इस डिजास्टर मैनेजमेंट के जरिए होने वाले सारे कामों को किया जाए, उसका कोई मैकेनिज्म निकालना चाहिए, ताकि सिक्स्थ शैड्यूल एरिया के लोगों को भी यह सुविधा मिल सके, यह अनुरोध मैं सरकार से करना चाहता हूं। इसके अलावा पहाड़ी इलाका होने के कारण वहां पर अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं होगी तो इन प्राकृतिक आपदाओं से वहां के लोगों को नहीं बचाया जा सकेगा। मुझे विश्वास है कि मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार की तरफ से इसके ऊपर स्पैशली ध्यान दिया जाए, विशेषकर असम की जो बाढ़ की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सीधे देखभाल की जाए, व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (उत्तराखंड): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद सर, प्राकृतिक आपदा पर महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। प्राकृतिक आपदा का परिणाम, चाहे बाढ़ हो, मूसलाधार वर्षा हो, आसमानी बिजली हो, भूस्खलन हो, आग या भूकंप हो, बहुत ही भयावह है। यह न केवल अनमोल मानव जीवन को खत्म कर देता है, परंतु बुनियादी ढांचे को भी बरबाद और नष्ट कर देता है। साथ ही साथ यह प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के जीवन और पर्यावरण को भी प्रभावित करता है।

सर, हम सोच सकते हैं उन लोगों के बारे में, जो लोग बिहार में बाढ़ से प्रभावित हुए या महाराष्ट्र के मालिन गांव की उन जिंदगियों के बारे में, जिनके जीवन में भूस्खलन का प्रभाव पड़ा। इन प्राकृतिक आपदाओं में कई अनमोल जिंदगियां खत्म हो गयीं।

महोदय, मेरे गृह राज्य उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अद्वितीय हैं। यहां लगातार मूसलाधार वर्षा, भूस्खलन और बाढ़ हर साल एक स्थाई घटना बन गई है। केदारनाथ में पिछले वर्ष विनाशकारी बादल फटने की घटना से संसद वाकिफ है, जिसमें लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवाई और कई लोग अभी भी लापता हैं। सर, इससे पूर्व हमारे एक विद्वान सदस्य, श्री तरुण विजय जी ने कुछ ऐसी बातें कहीं कि मुझे आज उनसे यह कहना पड़ता है कि जब वे यहां बैठा करते थे, तब बड़े जोर-शोर से विकास की बात करते थे। आज वे उस ओर बैठे हैं तो विनाश की बातें कहते हैं। केदारनाथ की इतनी बड़ी जो घटना घटी, उसमें उस समय की प्रदेश की बहुगुणा जी की तत्कालीन सरकार और प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी की तत्कालीन सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। मैं आज आपके माध्यम धन्यवाद देना चाहता हूं, पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी को और विशेष तौर पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी तथा उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी को, जिन्होंने तुरंत, 24 घंटे के अंदर ऐसी कार्यवाही की, जिससे 20 दिन के अंदर हमें वहां काम करने में सफलता मिली। वहां एक हजार करोड़ रुपया तुरंत भेजा गया। एक ऐतिहासिक काम उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकारों द्वारा वहां पर किया गया।...(व्यवधान)...

श्री तरुण विजय: मैं एक बात कहना चाहता हूं कि...(व्यवधान)...

श्री महेन्द्र सिंह माहरा: जरा सुनने के लिए patience भी रखें।...(व्यवधान).... आज आपके माध्यम से...(व्यवधान)...

श्री चुनीभाई कांजीभाई गोहेल (गुजरात): उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य क्या ...(व्यवधान)...

श्री तरुण विजय: उपसभाध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)...

श्री शम्भु प्रसादजी तुंदिया (गुजरात): उपसभाध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर): आप शांति रखिए। आप शांति रखिए। ...(व्यवधान) आप बाद में जवाब दे देना। ...(व्यवधान)...

श्री महेन्द्र सिंह माहरा: आप patience रख लीजिए। ...(व्यवधान) आप patience रख लीजिए। ...(व्यवधान) यहां आप बहुत ज्यादा विकास की बात करते थे। आज आप कहते हैं कि पहाड़ों में सड़कें बनती हैं, तो explosives का use होता है। मान्यवर, अगर पहाड़ों में explosives का use नहीं किया जाएगा, तो कौन सी चीज ऐसी है, जो पहाड़ों को तोड़ देगी? आपने डैम की बात कही। आप तो वहीं के रहने वाले हैं। आपकी बात सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। आपने कहा कि टिहरी जैसा डैम बना दिया गया। यह ध्रुव सत्य है कि यदि टिहरी डैम पिछले वर्ष नहीं होता तो हरिद्वार और आगे के गांव, कितने शहर तबाह हो जाते, इसका वर्णन आपने नहीं किया। ...(व्यवधान)...

श्री तरुण विजय: आप गलत मत कहिए। मैंने टिहरी का नाम नहीं लिया है। ...(व्यवधान)...

श्री महेन्द्र सिंह माहरा: इसी डैम की ...(व्यवधान) मैं कह रहा हूँ कि किसी भी डैम की बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर): इसका जवाब मंत्री जी दे देंगे। ...(व्यवधान)...

श्री महेन्द्र सिंह माहरा: आज आपके प्रधानमंत्री जी ने 6000 मेगावाट बिजली बनाने वाले पंचेश्वर डैम की बात कही है। आप डैम की बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान) आप जवाब सुन लीजिए। ...(व्यवधान) मान्यवर, आज सारी नदियां उत्तराखंड में हैं सारे बिजली के प्रोजेक्ट उत्तराखंड में लगे हुए हैं। आज 3621.98 मेगावाट बिजली उत्तराखंड दे रहा है। किसको बिजली दे रहा है, उत्तराखंड अपने पास बिजली नहीं रख रहा है। ...(समय की घंटी) उत्तराखंड पूरे भारतवर्ष को बिजली दे रहा है। वह यू.पी. को बिजली दे रहा है, वह दिल्ली को बिजली दे रहा है। अभी उत्तराखंड के कई प्रोजेक्ट बंद हुए हैं। इसका किसको नुकसान हो रहा है। आज अपने यह कह दिया कि इससे विनाश होने जा रहा है। ...(समय की घंटी)...

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर): हो गया।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा: उपसभाध्यक्ष महोदय, विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अधिकांश आबादी नदी घाटी के किनारों पर बसी है। पिछले कई वर्षों में वनों का दोहन होने के कारण भी, बाढ़ का खतरा बढ़ा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर): आपके बोलने का समय खत्म हो गया है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा: जिससे केदार घाटी, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, धारचूला, मुनस्यारी, मदकोट व जौलजीवी क्षेत्रों में आई बाढ़ के कारण, यहां के पर्यटन उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इस वर्ष के पिछले दो महीने हमारे लोगों के लिए बहुत परेशानी भरे रहे हैं। मेरे पिथौरागढ़ क्षेत्र के लोगों ने हाल ही में आए भूस्खलन में अपनी जानें गंवा दी हैं और रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी व

बागेश्वर जैसे अन्य क्षेत्रों में भी इसका काफी प्रभाव नजर आ रहा है।...(समय की घंटी)... कई सड़कें व पुल बह गये हैं जिनके पुनः निर्माण में महीनों लग जायेंगे।

हमारे राज्य के चार जिले चीन, नेपाल व तिब्बत से सीधे जुड़े हैं जो सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर): आपका बोलने का समय समाप्त हो गया है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा: चीन की आक्रामक विस्तारवादी नीति के चलते भारत की ओर लगने वाले भूभाग में रेल व सड़कों का व्यापक प्रसार हो रहा है परंतु हमारी सीमा क्षेत्र की चौकियों में आकस्मिक आवश्यकता पड़ने पर, हमें अपनी वर्तमान सड़कों से रक्षा व अन्य सहायता पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा। उत्तराखंड का अधिकांश भूभाग भूकम्प जोन में आता है।...(समय की घंटी)... कभी भी यहां भयंकर भूकंप आ सकता है जो कि हिमालय में निरंतर हो रहे परिवर्तन के कारण संभावित है।

आपदा के व्यापक संवेदनशील खतरों के प्रति जागरूकता एवं इसे कम करने के लिए प्रयास नहीं हो पाये क्योंकि राज्य ने प्रारंभिक ढांचा तो बनाया, परंतु धनाभाव के कारण धरातल पर नहीं उतारा जा सका।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर): माहरा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा: प्रारंभिक आकलन के आधार पर आपदा प्रबंधन के लिए राज्य को तत्काल 2500 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। आपदा जनित प्रबंधन एवं नवीनीकरण हेतु जिसमें सड़क तटबंध, सुरक्षित विस्थापन, पुनर्वास, आपदा से पूर्व चेतावनी पद्धति का विकास, त्वरित सहायता प्रबंधन तंत्र का भविष्य आधारित आवश्यकताओं का परिकल्पन शामिल है, सम्मिलित रूप से इनके लिए सात हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर): मास्टर जी, आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है। प्लीज, आप समाप्त कीजिए।...(व्यवधान)... ऐसे पढ़ना तो एलाउड नहीं है, आप क्या कर रहे हैं?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा: उत्तराखंड इसके लिए केंद्र से सहायता की मांग करता है यद्यपि इस कार्य हेतु वैकल्पिक सहायता प्राप्त हुई है, परंतु सुनियोजित प्लान हेतु धनराशि की आवश्यकता है। महोदय, मेरा सरकार से विनम्र सुझाव है कि NDRF के साथ-साथ सरकार को स्थानीय लोगों का एक अलग कार्यदल गठित करना चाहिए, जो वहां की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से संभालने के लिए...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर): थैंक यू वेरी मच।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा: यह कार्यदल मददगार साबित होगा क्योंकि उन्हें स्थानीय आबादी और भौगोलिक स्थिति का ज्ञान होगा और यह आपातकाल में बेहतर ढंग से कार्य करने में सक्षम होगा। इसे हम प्रादेशिक सेना की तर्ज पर गठित कर सकते हैं, जो हमारे रक्षा बलों के लिए एक दूसरी पंक्ति के रूप में कार्य करेगा।...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर): महेन्द्र सिंह जी।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा: हम अगर अपने आपदा तैयारियों के बजट की तुलना बजट परिव्यय से करें, तो इस तरह के कार्यों के लिए यह बहुत ही कम है।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर): महेन्द्र सिंह जी, ऐसे पढ़ना एलाउड नहीं है। थैंक यू वैरी मच।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा: मुझे विश्वास है कि सरकार मेरे इस विनम्र सुझाव पर ध्यान देगी, जो कि हमारे आपदाग्रस्त लोगों की मदद के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर): सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा।

श्री बलविंदर सिंह भुंडर (पंजाब): Sir, please correct the name. बलविंदर सिंह भुंडर। ढिंडसा जी बैठे नहीं हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर): श्री बलविंदर सिंह भुंडर।

श्री बलविंदर सिंह भुंडर: सर, आज सदन में जो बहस चल रही है, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। इंडिया की पंजाब स्टेट देश के लोगों को भुखमरी में सबसे ज्यादा अनाज देने वाली स्टेट है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि सूखा भी इसी बैल्ट में सबसे ज्यादा पड़ा है। पंजाब और हरियाणा की जो बेल्ट है, इसमें सभी जगह सूखा है, लेकिन पंजाब में तो सबसे ज्यादा है। आपकी फिगर्स भी बताती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि फिगर्स से भी ज्यादा है। मैं आज भी गांव से होकर सीधा ही यहां पर आया हूँ। मैंने देखा है कि पंजाब में 60 परसेंट से भी ज्यादा बारिश कम हुई है। उसका असर देश पर तो पड़ता ही है, लेकिन पंजाब स्टेट के किसानों पर भी पड़ता है। हमें बिजली भी ज्यादा खर्च करनी पड़ती है, डीजल भी ज्यादा खर्च करना पड़ता है। जैसे माता-पिता अपने बच्चे को पालते हैं, उसी प्रकार हमारा किसान भी अपनी फसल उगाने लिए अपनी घर वाली के गहने भी बेचकर फसल को पालता है। बदकिस्मती यह है कि जहां सूखा पड़ा है, वहां पर उसको फसल का जो रेट मिलता है, वह भी कम मिलता है। इस तरह से दोनों तरफ से किसान मारा जा रहा है। सर, मैं आपके जरिए गवर्नमेंट से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि ...**(व्यवधान)**... मुझे पता है कि दो-तीन मिनट ही हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पंजाब के क्षेत्र में जितनी बारिश की कमी है, आपके पास भी उसकी फिगर्स हैं, मैं बार-बार उसका जिक्र करूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए उसके मुताबिक हमें डीजल पर, बिजली पर और दूसरे साधनों पर होने वाला खर्चा दिया जाए, ताकि पंजाब के लोगों को कुछ राहत मिल सके। मेरा ख्याल है कि 25 से 30 हजार रुपया एक एकड़ के हिसाब से किसान का खर्चा हुआ है। इसमें किसान की बचत की तो कोई बात ही नहीं है। उसको कम्पनसेट करने के लिए जहां बिजली वगैरह के लिए स्टेट को देना है, किसान को भी सूखे के कारण ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, इसलिए उसको भी मुआवजा देना चाहिए। ...**(समय की घंटी)**... पंजाब की तरफ से आपके पास जो रिक्वेस्ट आई है, पंजाब गवर्नमेंट के लिए आपके पास 2,330 करोड़ रुपए का Centre's Special Assistance का proposal है। लगभग 2,400 crore रुपए की रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट ने की है। मेरे ख्याल में यह भी कम ही है। उन्होंने तो आफिशियल आंकड़े दिए हैं। मैं खुद किसान हूँ। ...**(समय की घंटी)**... किसान का जितना ज्यादा नुकसान हुआ है, वह नुकसान पंजाब के किसान का नहीं बल्कि वह देश का नुकसान है। जब पंजाब में क्रॉप नहीं होगी, तो देश में अनाज के भंडारों में भी कमी आ जाएगी। इसलिए इस कमी को देखते हुए, मैं आपके जरिए उम्मीद करता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब को पूरी मदद देगी। जो अभी सूखा पड़ा हुआ है, एक तो बाद में इमदाद देते हैं, पर मैं इसके लिए अभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट को अभी कहें कि जो

सेंटर का पैसा पड़ा हुआ है, किसान को खर्च करने के लिए यह ग्रांट रिलीज की जाए, असिस्टेंट तो बाद में जाएगी। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर): विप्लव ठाकुर जी, मैं कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी के जवाब से पहले आप एक मिनट का मतलब एक मिनट ही रखें।

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती हूँ, मैं सिर्फ मंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बारिश के पानी से गरीबों के घर गिर जाते हैं, नुकसान होता है, इसलिए इसमें जो मैनुअल रिलीफ रखी है, हमें उसमें चेंज लाना चाहिए। एक तो पटवारी उसका नक्शा क्वैक बनाता है, वह ठीक नहीं है। क्योंकि आप भी गांव से जुड़े हुए हैं, इसलिए जानते हैं कि वह बहुत दिन लगा देता है। जब नक्शा क्वैक बन जाता है और यदि यह 40 हजार का बना है तो उसके लिए 20 परसेंट या इतने परसेंट मैनुअल रिलीफ रखा गया है। मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप उस रिलीफ मैनुअल में बढ़ोत्तरी कीजिए, उसमें चेंज कीजिए, जिससे कि उनको फायदा मिल सके, उनको अपना हक मिल सके। आईआरडीपी में घर बना, लेकिन बारिश में चला गया, डिजास्टर में चला गया। उसके पास पैसा भी नहीं होता, जिससे कि उसको दोबारा बना सके। मेरी आपसे इसके लिए सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप रिलीफ मैनुअल में चेंज करके इसको बढ़ाइए और पूरे भारत में एक ही रखिए। आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिशा है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI A.U. SINGH DEO (Odisha): Sir...

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर): आप बाद में बोल लीजिए ...(व्याधान)... आप बीच में ऐसा मत कीजिए ...(व्यवधान)...

SHRI A.U. SINGH DEO: Sir, before the hon. Minister speaks, I want only one clarification. While Odisha is drowning and we are debating her on these matters. I would like to know from the hon. Minister sitting in the first row here whether anybody has visited Odisha. वहां पर अभी तक कोई हैल्प पहुंची है या नहीं पहुंची है, किसी को मालूम है या नहीं कि वहां का क्या हाल है? Sir, one million people have got affected. Rivers Mahanadi, Tel, Baitarani, Budhabalanga are on the rise. The Odisha State Government has evacuated one and a half lakh people there. Sir, the Government of India should move fast. They should send a Central team for investigation. And the hon. Minister should go there.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE) : I will ask the Home Minister to intervene on this.

SHRI A.U. SINGH DEO : I am concluding, Sir.

Sir, we spoke to the hon. Prime Minister this morning and the Prime Minister has said that he is considering going to Odisha and he will let us know very, very soon. I would request the hon. Minister and the Prime Minister to take it very seriously, go to Odisha, see the affected people there and send help very, very quickly. Thank you, Sir.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJU) : Thank you. Mr. Vice-Chairman, Sir. First of all, I extend my gratitude to all the hon. Members who have taken part in this very important and

[Shri Kiren Rijiju]

serious discussion. Altogether, 24 hon. Members have taken part. मैंने सभी को धन्यवाद देते हुए, सभी को individually respond नहीं करते हुए इस विषय को कुछ प्वाइंट्स में बांटा है। यदि एक-एक को रिस्पोंड करेंगे तो यह रिप्लाय बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने इस विषय को सामूहिक रूप से गुप्स में रखा है और मैं उसी हिसाब से रिस्पोंड करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूँ कि एनडीएमए को लेकर बहुत से सदस्यगणों ने पूछा है कि यह बंद क्यों कर दिया गया है? आपने पूछा है कि National Disaster Management Authority को बंद क्यों रखा हुआ है? मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि यह बंद नहीं है। सरकार बदलने से उसका सिस्टम बदल सकती है, लेकिन वह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में है। अगर डिप्टी चेयरमैन या किसी सदस्य ने इस्तीफा दिया होगा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह बंद है। मैं यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि इसके re-constitution की जो प्रक्रिया है, उसका काम मंत्रालय के द्वारा बहुत अच्छी तरह से होगा। इस पर रिस्पोंड करने से पहले अभी जो करंट हालात हैं, मैं उन पर कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे यहां पर गृह मंत्रालय में उसका 24 ऑवर का डेस्क है। देश में विभिन्न जगहों पर प्राकृतिक आपदाओं की जो घटनाएं होती हैं, यह उसकी बराबर खबर लेता है और उस पर कार्यवाही करने का प्रबंध करता है। अभी तक जो मैसेज आया है, उसके अनुसार वैदर के मुताबिक जो meteorological sub-division की रिपोर्ट है, उसमें 36 meteorological sub-division में से 16 sub-division में normal rainfall हुई है, 18 sub-division में deficient rainfall हुई है और 2 sub-division में अभी तक scanty rainfall हुई है। वहां से 10 राज्यों की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, जिसमें moderate flash flood, cloud burst, landslide आदि की घटनाओं के बारे में सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। सर, मैं अभी भी स्थिति बताना चाहता हूँ, मैम्बर ने आखिर में जो कहा है, about 10.5 lakh cusecs of water passed through Mahanadi river system at the delta head Mundali near Cuttack around mid day yesterday, affecting 21 districts. At noon today, water discharge at the said point was 10.81 lakh cusecs. सर, माननीय सदस्य ने इसके बारे में जो कहा है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारे गृह मंत्री, राजनाथ सिंह जी ने वहां के मुख्य मंत्री से संपर्क किया। डिजास्टर रिस्पांस फोर्स उसका सारा प्रावधान कर चुकी है। टीम को ओडिशा भेजने के लिए जो भी प्रबंध करना है, वह पूरा किया गया है। साथ-साथ, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि मालिन गांव में जो घटना हुई है, उसकी खबर मिलने के तुरंत बाद हमारे गृह मंत्री, राजनाथ सिंह जी वहां उस जगह होकर आए हैं, जिसका विवरण सदन को दिया जा चुका है।

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए,)

श्रीमती रजनी पाटिल: हमने उनके जाने के बारे में नहीं पूछा, घटना घटने से पहले आप क्या करते हैं, यह पूछा है।

Mr. Deputy Chairman: Let him Complete the reply.

श्री किरन रिजिजू: मैं उस पर आ रहा हूँ। मैं सबका जवाब दूंगा।

सर, मैं इसके इफेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। The total food-prone area, as assessed by the Rastriya Barh Ayog, is 40 million hectares in India. The flood affected areas in a year varied from 1.46 million hectares to 17.5 million hectares with an average of 7.14 million hectares since 1953, इसके साथ ही मैं फ्लड एम्बैकमेंट के प्रोविजन के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी तक नदियों के ऊपर 35,200 किलोमीटर फ्लड एम्बैकमेंट का काम हुआ है। मैं फ्लड फोरकस्टिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। The flood forecasting is possible based on actual

hydrometeorological data as well as weather forecast with limited accuracy. The Central Water Commission is issuing river water level forecast for 147 locations and inflow forecast for 28 reservoirs, dams and barrages. अभी तक इस साल की जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार जो नेचुरल डिजास्टर से अफेक्टेड हुए हैं, उनमें the total number of human lives lost is 249. The number of cattle perished is 3,280. The number of houses damaged is 10,920. And the crop area affected is 0.37 lakh hectares. In addition to this, these disasters have damaged infrastructure in some parts of the States and have disrupted road, communication, rail links, power network and drinking water supply system.

सर, मैं यह बात बताना चाहता हूँ कि जब कोई डिजास्टर होता है, तो उसके इम्प्लीमेंट रिस्पांस की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। केंद्र सरकार नीति बनाती है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी केंद्र सरकार बनाती है। उसके मुताबिक केंद्र से सहयोग देने की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के मुताबिक हमारे नेचुरल डिजास्टर रिस्पांस फंड से स्टेट को जो राशि दी जाती है, वह 75 परसेंट दी जाती है और 25 परसेंट राज्यों की ओर से दी जाती है। जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं, उनको एनडीआरएफ का सेंट्रल कंट्रिब्यूशन 90 परसेंट होता है और एसडीआरएफ का 10 परसेंट होता है।

सर, इसके बाद मैं स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड को जो टोटल अमाउंट दिया गया है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। वह दो भाग में है — 2005 से 2010 का कंपोनेंट है और 2010 से 2015 का कंपोनेंट है। 2010 से 2015 का जो कंपोनेंट है, उसमें पहले के 21,333 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 33,581 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूँ कि डिजास्टर के मामले में जो सहायता दी जाती है, वह इम्प्लीमेंट रिलीफ होती है। It is not in a way compensation to the loss caused by the disaster. But it is an immediate relief. सर, इसकी प्रक्रिया में होम मिनिस्ट्री नोडल मिनिस्ट्री होने के नाते National Disaster Management Authority के माध्यम से पॉलिसी तय करती है।

आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में हमारे गृह मंत्री जी ने मुझे Thailand में Sixth Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction में भेजा था। हमारा जो इंटरनेशनल कमिटमेंट है, उसके मुताबिक हम community-based vigilance programmes भी चलाते हैं और awareness programmes भी चलाते हैं। इसके लिए हमारा एक institutional mechanism है, जिसके अंदर राष्ट्रीय स्तर पर 'National Disaster Management Authority' है, राज्य के स्तर पर 'State Disaster Management Authority' है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 'District Disaster Management Authority' है। इस three-tier institution के अलावा भी community-level resilience के बारे में भी हमारे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

सार्क देशों का डिजास्टर सेंटर नई दिल्ली में स्थित है, जिसके अंतर्गत National Institute of Disaster Management भी आता है और समय-समय पर उसके माध्यम से अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

इसके बाद मैं कुछ इश्यूज को रिस्पांड करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ओडिशा में आए 'फेलिन' चक्रवात की घटना के बारे में कहना चाहता हूँ कि the Odisha Government had demanded a total help of ₹ 5,832 crore and I must inform the hon. Member that the long-term

[श्री किरन रिजिजु]

rehabilitation is a process done through the State Government in a planned structure. It cannot be in a manner of relief and immediate response. So, I would like to inform the hon. Member that the Central Government has already approved and released an amount to the tune of ₹ 934.61 crore and there has been a further request from the Government of Odisha, which is under consideration of the Ministry. Sir, with regard to ...*(Interruptions)*...

SHRI BHUPINDER SINGH (Odisha): Now, there is flood. ...*(Interruptions)*...

SHRI KIREN RIJITU: That is what I am saying. ...*(Interruptions)*...

SHRI BHUPINDER SINGH: Release the amount. ...*(Interruptions)*...

SHRI KIREN RIJITU: I have already stated the present thing. We have to receive the memorandum from the State Government. If the problem is causing, ...*(Interruptions)*...

SHRI BHUPINDER SINGH: Memorandum is there from the last year.

SHRI KIREN RIJITU: I have responded to the issues of last year. ...*(Interruptions)*... But it's okay ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...*(Interruptions)*... Let him complete.

SHRI KIREN RIJITU: In respect of Kerala, I would like to inform the hon. Member that the National Disaster Response Force has permanently placed a team of NDRF at Kozhikode; however, the accommodation for setting up the unit is yet to be arranged by the State Government. So, the hon. Member can kindly pursue the State Government of Kerala, and we will also do that from our end.

Sir, the Chief Minister of Uttar Pradesh had made a request to release the entire assistance demanded by the State Government in the wake of floods in 2013. I would like to inform that the high-level Committee has approved ₹ 230.60 crore as assistance from NDRF subject to the adjustment of 75 per cent balance in SDRF. The position has been explained to the Chief Minister *vide* letter dated 30th July, 2014.

Sir, many Members, including Dr. Sanjay Sinh, have made a suggestion that we should have some kind of collaboration with the Government of Japan. I would like to inform that during the Sixth Asian Ministerial Conference, I had a bilateral sitting with the representative of Japan and we have planned to take up and work together so that we can exchange our experiences. I had the privilege of chairing the plenary session in Bangkok. So, India has been involved very actively in the disaster management activities.

Sir, some suggestions have been made like inclusion of erosion, lightning, sea erosion and some other items like bamboo-flowering in the items on which claims can be made to the Central Government. Sir, through you, I would like to inform the House that it is the Finance Commission which decides the items to be included under the

provision of disaster. The Home Ministry has recommended all those items which were mentioned by hon. Members to the Fourteenth Finance Commission. त्यागी जी, आपने जो कहा है, उसको भी हम रिकमंड कर चुके हैं।

श्री के.सी. त्यागी: लाइटनिंग वाला।

श्री किरन रिजिजू: हाँ, लाइटनिंग का भी हमने 14th Finance Commission को रिकमंड किया है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि Finance Commission उस पर जल्दी से जल्दी अपनी कार्रवाई करेगा और इससे लोगों तक मदद पहुँचाने में हम सक्षम होंगे।

On the issue of utilisation of funds released from SDRF, it is informed that the provision of the SDRF provides that the Comptroller and Auditor General of India would cause audit of the SDRF every year in conformity with approved items and norms in terms of purposes of SDRF guidelines. Sir, there are possibilities of mismanagement, and there are cases of misuse of funds. That is why I have to mention this.

Several hon. Members have mentioned about the problems from neighbouring countries. I would like to inform the House that we have several agreements with our neighbouring countries. First of all, many Members have raised the issue relating to the Kosi. I would like to inform the hon. Members that we have a comprehensive understanding with the Government of Nepal. Because of the constant effort from our side a disaster was avoided. A few days back there was a danger line that Kosi River was supposed to deluge northern parts of Bihar. But our team has contacted with our counterpart team of Nepal, and they have blasted four detonators उन्होंने वहाँ पर चार बम फोड़े हैं। वहाँ नदी में पहाड़ का एक हिस्सा गिरने से जो आर्टिफिशियल बांध बन गया था और इससे वहाँ पानी जमा हो गया था, तो वहाँ उन्होंने चार बम फोड़कर उसे जाने दिया और उसकी वजह से हमारे भारत के बिहार राज्य के क्षेत्र में जो फ्लड आ सकता था, वह टल गया है। लेकिन अभी भी हम लोग constantly monitoring कर रहे हैं। अभी बिहार में जितने भी रिलीफ कैम्प बनाये गये हैं, वहाँ से अब कुछ लोग अपने-अपने घर वापस जाने लगे हैं। इस प्रकार हमारे अधिकारियों के द्वारा वहाँ पर एक तरह की alertness की वजह से एक खतरा टल गया है।

सर, नेपाल के साथ जो हमारे दूसरे एग्रीमेंट्स हैं और जो लगातार 42 स्टेशंस से हमें डेटा मिलता रहा है, we are getting constant information from 42 stations in Nepal, and those stations are funded by India only. This is why they were binding to give information to India on time.

भूटान के साथ लगे हमारे असम और बंगाल पर उसका इफेक्ट पड़ता है। भूटान के साथ हमारा एक comprehensive Scheme for establishment of Hydro-meteorological and flood forecasting network बना हुआ है, जिसके माध्यम से 35 Hydro-meteorological stations are located in Bhutan, which are being maintained by the Royal Government of Bhutan with funding from India. The data received from these stations is utilised in India by the Central Water Commission for formulating flood forecast of rivers flowing from Bhutan to India. इससे हम लोगों को बहुत मदद मिल रही है और अगर कोई खतरा आता भी है तो उसका हमें पहले समय पर पता चल जाता है।

[श्री किरन रिजिजू]

5.00 P.M.

सर, इंडिया और चाइना के बीच में एक एमओयू हुआ है, जो 2013 में हुआ है। उस Memorandum of Understanding के मुताबिक ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसको तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, वहां और सतलुज रिवर, these are the two river basins of which hydrological information is shared by the Chinese authorities with us. We are looking for more possible information if it is a necessary in other areas. लेकिन अभी दो रिवर बेसिन्स के बारे में चाइना के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, उसकी वजह से समय-समय पर हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट है, उसमें हम पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन देते हैं।

सर, इसके अलावा ऑनरेबल मेम्बर्स ने बहुत-सारे प्वाइंट्स दिए हैं। I do not want to take much time of the House. However, I would like to inform the House that I have noted down all the important points and suggestions which have been given by the Members. We are very hopeful that this kind of cooperation will continue to receive from hon. Members and respective State Governments so that in future we can respond to any kind of natural disasters coming from the country. With this, I thank you for giving me the opportunity and thank all the hon. Members.

श्री तरुण विजय : सर, चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर जो बांध बनाया है, उसका अरुणाचल प्रदेश पर क्या खतरा होता है? ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Mr. Minister. Now we are taking up the Discussion on the Working of the Ministry of Home Affairs. Shri Anil Madhav Dave to raise the discussion.

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, I am on a point of order. I have before me the Revised List of Business, in which it is mentioned that after this Short Duration Discussion there is another Short Duration Discussion. After that, there is the Discussion on the Working of the Ministry of Home Affairs. I can understand it. I am not really pressing for it, but the rule says that we cannot gloss over what is written here. It is only the House which can change the Agenda. It is not at the whims and fancies of the Minister. The Minister did say that we will take it up tomorrow. We are not disagreeable. But it is the House which must have its say, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, there is a point in what you said. The House can always decide it. In the Revised List of Business, after the Short Duration Discussion-I, there is Short Duration Discussion-II. The point made by Dr. Keshava Rao is that only the House can change it. I agree. You have made a valid point. Yes, it is for the House to decide. But before that, I would like to inform the House that in the morning meeting, when all the leaders were there, it was decided -- that is only discretionary; the House can take its own decision -- and there was some consensus that after the Short Duration Discussion today, we will take up the Discussion on the Working of the Ministry of Home Affairs. In the BAC also there was a decision, which has not been announced, that today

after the Short Duration Discussion, we will take up the Discussion on the Working of the Ministry of Home Affairs and discuss it as much as we want, maybe, for one hour or two hours and then tomorrow, at 12 o'clock, we will take up the Short Duration Discussion and finish it and after that we will take up the Private Members' Business. Then further Discussion on the Working of the Ministry of Home Affairs will be taken up on Monday. I am talking about the BAC decision. I admit that the House is supreme, but it is my duty to inform the House, even though it has not been announced here. The BAC has decided that now we will take up the Discussion on the Working of the Ministry of Home Affairs and sit as much as we want or as much as we can and at 12 o'clock on Monday we will take up the Discussion on the Working of the Ministry of Home Affairs and dispose it of. Then tomorrow, the Short Duration Discussion, which Dr. Keshava Rao has mentioned, will be taken up and after disposing it of we will take up the Private Members' Business. If it is agreeable, we will go like that.

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, I have no objection. Once it is written, you have to explain it. Now you have explained it. We take it and say 'yes'. Now you have talked about the BAC. That is what I am saying. The moment the Chair says it, all of us agree to it. But the House must decide it, not the BAC.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I entirely agree with what you have said. Once the List of Business is published and given to you, it is the property of the House and only the House can change it.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI GHULAM NABI AZAD): Sir, you can take the sense of the House right now.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I agree with that. But I am only informing the decision of the BAC so that you keep it as a kind of guidance. Now you can decide it. If you agree, we can take up the Discussion on the Working of the Ministry of Home Affairs now and continue as much as we can, maybe for one hour or two hours. On Monday, we will further continue with it and dispose it of. The Short Duration Discussion, which you have mentioned, we will take up tomorrow at 12 o'clock. I would like to have your views. I hope the House agrees to it.

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, that is the sense of the House.

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, my request is, please allow Zero Hour tomorrow. With all respect to the decision of the leaders, please allow, Zero Hour tomorrow.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will convey your feelings to the Chairman. Zero Hour is admitted by the Chairman, not by me. I will convey it to the hon. Chairman. I will convey your feelings to the Chairman.
